

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 14]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 5 अप्रैल 2024—चैत्र 16, शक 1946

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पूर्व का नाम कु. अशोक बाला (K. M. ASHOK BALA) पुत्री श्री राजेन्द्र सिंह था. मेरा विवाह श्री कृष्णपाल सिंह से हो जाने के कारण अब, मैं, बबली सिंह (BABLI SINGH) पत्नी स्व. श्री कृष्णपाल सिंह (KRISHNA PAL SINGH) के नाम से जानी-पहचानी जाती हूँ. अतः मेरे समस्त शासकीय/अशासकीय अभिलेखों में मेरा नाम बबली सिंह (BABLI SINGH) पत्नी स्व. श्री कृष्णपाल सिंह (KRISHNA PAL SINGH) लिखा-पढ़ा एवं दर्ज किया जाये.

पुराना नाम
(कु. अशोक बाला)
पुत्री-श्री राजेन्द्र सिंह

नया नाम
(बबली सिंह)
(BABLI SINGH)

पत्नी-स्व. श्री कृष्णपाल सिंह
पता-मकान नं.-डी-230, ओल्ड मिलान रेसिडेंसी,
जे. के. रोड, हुजूर, भोपाल (म.प्र.).

(G-670)

नाम परिवर्तन

मैं प्रजापति राजू (PRAJAPATI RAJU) पुत्र पूरनसिंह प्रजापति, सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे घर का नाम रामखिलाड़ी प्रजापति (RAMKHLADI PRAJAPATI) है. जो मेरी पत्नी की बीमा पॉलिसियों के नॉमिनेशन (उत्तराधिकारी) में लिखा गया है. जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मैं, प्रजापति राजू पुत्र पूरनसिंह प्रजापति के नाम से जाना-पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ जो मेरे शासकीय, अशासकीय प्रपत्रों में लिखा है. रामखिलाड़ी प्रजापति एवं प्रजापति राजू दोनों मेरे ही नाम हैं. मेरा नाम रामखिलाड़ी प्रजापति के स्थान पर प्रजापति राजू लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम
(रामखिलाड़ी प्रजापति)

नया नाम
(प्रजापति राजू)

पुत्र-पूरनसिंह प्रजापति
पता-चिरपुरा रोड, गली नं. 2, वार्ड नं. 10,
अम्बाह, मुरैना (म.प्र.).

(G-671)

PUBLIC NOTICE

This is to inform that M/s ABHISHEK PETROLEUM, having office at Ward No. 08-Village-Chandori, Katangi Road, Waraseoni, Balaghat (M.P.)481001, a partnership firm incorporated on 18th April 2017, having Three partners named as :-

1. Shri Dhawal Model Son of Late Shri Rameshchand Model resident of Ward No. 13 Jain Mohalla Waraseoni.
2. Shri SACHIN KUMAR RUSIA son of Shri Shekharchand Rusia , age 46 years, Resident of Ward No. 13, Jain Mohalla Waraseoni- Balaghat
3. Shri SAURABH RUSIA Son of Shri Shekharchand Rusia, age 43 years, Resident of Ward No. 13, Jain Mohalla Waraseoni-Balaghat (M.P.).

That with effect from 19th March 2024 One of the partner, Shri Dhawal Model has retired from the firm. Thus with effect from 19th March 2024 there are Two number of Partners in the Firm namely :-

1. Shri SACHIN KUMAR RUSIA son of Shri Shekharchand Rusia
2. Shri SAURABH RUSIA son of Shri Shekharchand Rusia.

This Public Notice is being published for the purpose of information to be given to the Office of Registrar of Firms and Society.

M/s ABHISHEK PETROLEUM
(SAURABH RUSIA)

Partner.

(G-672)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी फर्म मेसर्स भगवान गुप 104, दुर्गा नगर, लहार रोड, भिण्ड जिसका पंजीयन क्रमांक 02-43-07-00225-13, दिनांक 16-1-2013 है. जिसमें दिनांक 18-1-2024 को अपनी साझेदारी फर्म में संशोधन कर पक्षकार क्रमांक 4 श्री अनिल शिवहरे पुत्र श्री दिनेश चंद्र शिवहरे, निवासी-12/137, नई आबादी गौरी मार्ग, धर्मपुरी, भिण्ड जो कि फर्म से स्वेच्छा से पृथक् हो गये हैं तथा इनके स्थान पर नवीन साझेदार के रूप में श्रीमती विमलेश तोमर पत्नी श्री भगवान सिंह, आयु 63 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 25, दुर्गा नगर, भिण्ड व श्रीमती सीमा देवी पत्नी श्री रविन्द्र सिंह, आयु 40 वर्ष, निवासी-वार्ड नं. 25, दुर्गा नगर, भिण्ड जो कि नवीन साझेदार शामिल हुए हैं. फर्म से पृथक् हुए पक्षकार भविष्य में फर्म से संबंधित किसी भी प्रकार के लेन-देन या अन्य कार्यों में इनका कोई लेना-देना शेष नहीं रहा है तथा भविष्य में फर्म से संबंधित किसी भी प्रकार के लेन-देन या अन्य कार्यों में अपने शेयर के मुताबिक शेष साझेदार जिम्मेदार होंगे और वे फर्म के चालू रहने वाले अन्य साझेदार को स्वीकार है.

मेसर्स भगवान गुप,
(भगवान सिंह)
पार्टनर.

(G-673)

CHANGE OF NAME

I, Manmeet Kaur Chhatwal W/o Harjeet Singh Sethi and D/o Sartaj Singh Chhatwal R/o B Block, C-6, Meenakshi Planet City, Baghmugaliya, Hoshangabad Road, Huzur, Bhopal, Madhya Pradesh. Have changed my name and Shall hereafter be known as Manmeet Kaur Sethi.

Old Name

(MANMEET KAUR CHHATWAL)

New Name

(MANMEET KAUR SETHI)

(G-674)

CHANGE OF NAME

I, Harprit Kaur Chhatwal W/o Gurmeet Singh and D/o Sartaj Singh Chhatwal, R/o 41, Kshpanak Marg, Infront of new L.I.C. Building, Ujjain, M.I. Nagar, Madhya Pradesh. Have changed my name and shall hereafter be known as Renu Oberoi.

Old Name

(HARPRITKAUR CHHATWAL)
(G-675)

New Name

(RENU OBEROI)

नाम परिवर्तन

मैं, पवित्रा थापा (PAVITRA THAPA) पत्नी स्व. श्री निमचंद थापा, पता-एल.आई.जी.-59, एम. सेक्टर, अयोध्या नगर, भोपाल (म.प्र.). यह कि मेरे दस्तावेजों में मेरा नाम वर्तमान में पवित्रा थापा (PAVITRA THAPA) दर्ज है, जिसे परिवर्तित कर मेरा नाम पूजा थापा (POOJA THAPA) लिखवाना चाहती हूँ. अतः मेरे सभी दस्तावेजों में मेरा नाम पवित्रा थापा (PAVITRA THAPA) के स्थान पर पूजा थापा (POOJA THAPA) अंकित किया जावे.

पुराना नाम

(पवित्रा थापा)

(PAVITRA THAPA)

(G-676)

नया नाम

(पूजा थापा)

(POOJA THAPA)**नाम परिवर्तन**

मैं, राजू वर्मा (RAJU VERMA) पिता स्व. श्री रामू वर्मा, उम्र 38 साल, निवासी-जवांन सिंह कॉलोनी, वार्ड नं. 42, थाना कोलगवां, जिला सतना, मध्यप्रदेश. मेरे समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों एवं शासकीय रिकार्डों व सेवापुस्तिका में मेरा नाम राजू वर्मा पिता-स्व. श्री रामू वर्मा दर्ज है, जो कि मेरा घरेलू नाम है. राजू वर्मा एवं राजीव कुमार वर्मा पिता स्व. श्री रामू वर्मा दोनों मेरे ही नाम हैं, अर्थात् एक ही व्यक्ति के नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सही नाम राजीव कुमार वर्मा (RAJIV KUMAR VERMA) पिता स्व. श्री रामू वर्मा के नाम से जाना-पहचाना, पढ़ा-लिखा दर्ज एवं मान्य किया जावे.

पुराना नाम

(राजू वर्मा)

(RAJU VERMA)

(G-677)

नया नाम

(राजीव कुमार वर्मा)

(RAJIV KUMAR VERMA)

पिता-स्व. रामू वर्मा.

नाम परिवर्तन

मैं, दिव्यांश गांगिल (DIVYANSH GANGIL) पुत्र दुर्गेश गांगिल सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ की मेरे घर का नाम शिवम गांगिल (SHIVAM GANGIL) था. जो HSBC के (MUTUALFUND) में लिखा गया है. जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मुझे दिव्यांश गांगिल पुत्र दुर्गेश गांगिल के नाम से जाना-पहचाना एवं पुकारा जाता है. जो मेरे आधारकार्ड, पेनकार्ड, बैंक पासबुक, इत्यादि अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. शिवम गांगिल और दिव्यांश गांगिल दोनों मेरे ही नाम हैं. अतः HSBC के मेरा नाम शिवम गांगिल के स्थान पर दिव्यांश गांगिल लिखा एवं पढ़ा जाए.

पुराना नाम

(शिवम गांगिल)

(G-678)

नया नाम

(दिव्यांश गांगिल)

पुत्र-दुर्गेश गांगिल,

पता-सदर बाजार, गिराज जी के मंदिर के पास
मुरार, ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, अंशुल जैन (ANSHUL JAIN) पुत्र श्री अशोक जैन सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे घर का बोलता नाम आषुतोष जैन (ASHUTOSH JAIN) था. जो मेरी भारतीय जीवन बीमा पॉलिसी एवं राशनकार्ड में लिखा गया है जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मैं, अंशुल जैन पुत्र श्री अशोक जैन के नाम से जाना-पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ. जो मेरे आधारकार्ड, पासपोर्ट, पैनकार्ड, अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. आषुतोष जैन एवं अंशुल जैन दोनों मेरे ही नाम हैं. अतः मेरा नाम आषुतोष जैन के स्थान पर अंशुल जैन लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम
(आषुतोष जैन)

(G-679)

नया नाम
(अंशुल जैन)
पुत्र-श्री अशोक जैन,
पता-जासुस महल गली नं. 02,
जनकगंज, लशकर, ग्वालियर (म.प्र.).

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, "M/s RAJ RAJESHWARI FLOUR MILL" पंजीयन क्रमांक 03/29/04 /0461/24 सन् 2023-2024, दिनांक 22 फरवरी 2024 पंजीकृत फर्म है. यह कि, संशोधित भागीदारी अभिलेख दिनांक 1 मार्च, 2024 को हीतेश पडियार पिता श्री रमेशचंद्र पडियार, निवासी-वार्ड नं. 11, मोहल्ला पडियार सिनेमा, ग्राम-मेघनगर, मेघनगर, झाबुआ (म.प्र.) अपनी स्वेच्छा से इस भागीदारी फर्म से पृथक (अलग) हो रहे हैं.

M/s RAJ RAJESHWARI FLOUR MILL,
(रीकिन अनीश देसाई)

भागीदार

पता-70 & 85, (M.P.) Industries Development Corporation,
Area Meghnagar, Thandla, Jhabua (M.P.).

(G-680)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों, समग्र आईडी एवं मतदाता परिचय-पत्र में मेरा नाम देवराज मेहरा पिता मोती लाल मेहरा लेख है एवं कुछ शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम देवराज झारिया अंकित है. दोनों उपनाम मुझ एक ही व्यक्ति के हैं. भविष्य में मुझे देवराज झारिया के नाम से जाना-पहचाना, लिखा-पढ़ा, दर्ज किया जाये.

पुराना नाम
(देवराज मेहरा)
(DEVRAJ MEHRA)
पिता-मोतीलाल मेहरा
(MOTILAL MEHRA)

(G-681)

नया नाम
(देवराज झारिया)
(DEVRAJ JHARIYA)
पिता-मोतीलाल झारिया,
(MOTI LAL JHARIYA)
निवासी-ग्राम खुरपा बड़ा, जिला व
तह. नरसिंहपुर, (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, नाजरा बी पति निमान अली, निवासी-वार्ड नम्बर 16, सागर पेशा ऊँटखाना, छिन्दवाड़ा, तहसील व जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) पूर्व का नाम कचरा बाई लोखंडे पिता एसू लोखंडे था. मैंने अपना नाम नाजरा बी पति निमान अली कर लिया है. जो मेरे पूर्व भारतीय स्टेट बैंक, छिन्दवाड़ा, शाखा में बचत खाता में नाम कचरा बाई लोखंडे के नाम पर दर्ज है. किन्तु आधारकार्ड, पैनकार्ड आदि दस्तावेजों में मेरा नाम नाजरा बी पति निमान अली दर्ज है. ये दोनों ही नाम मेरे ही हैं जो कि एक ही व्यक्ति है. इस प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे वास्तविक नाम नाजरा बी पति निमान अली के नाम से ही जाना जावे.

पुराना नाम
(कचरा बाई लोखंडे)

(G-682)

नया नाम
(नाजरा बी)

जाहिर सूचना

(भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 के अंतर्गत)

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स SHRI PARASNATH BUILDCON साझेदारी फर्म के रूप में सहायक पंजीयक फर्म एवं संस्थाएं, जबलपुर में पंजीकृत हैं, फर्म के साझेदारों ने आपसी सहमति से दिनांक 1-4-2023 को फर्म में नए साझेदार के रूप में श्री आरिन गोयल पिता श्री अमरेश गोयल, निवासी वर्धमान सिटी पाठाठाना, छिन्दवाड़ा, तहसील व जिला छिन्दवाड़ा को शामिल किया है एवं दिनांक 1-4-2023 को श्री मारुफ खान पिता शाहबुद्दीन खान, निवासी-वार्ड नम्बर 21, गुजरात गेसोलीन पेट्रोल पम्प के सामने गुलाबरा, छिन्दवाड़ा, तहसील व जिला छिन्दवाड़ा फर्म से सेवानिवृत्त हो गये हैं एवं उक्त दिनांक से इस फर्म के साझेदार नहीं रहे हैं।

मेसर्स SHRI PARASNATH BUILDCON,
(अमरेश गोयल)

भागीदार

पता-वार्ड 6, कांग्रेस भवन के पीछे,
बुधवारी बाजार, छिन्दवाड़ा (म.प्र.).

(G-683)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आदित्य नामदेव पिता स्व. श्री रामसेवक नामदेव, निवासी-चैतन्य, निवास बंगाली कॉलोनी, मोहन नगर, छिन्दवाड़ा, तहसील व जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.). मेरे शैक्षणिक व अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम ADITYA NAMDEO अंकित है, जबकि मेरा वास्तविक नाम ADITYA SHRIVASTAVA है, मेरी माता का नाम प्रेमलता नामदेव PREMLATA NAMDEO अंकित है, जबकि मेरी माता जी का वास्तविक नाम प्रेमलता श्रीवास्तव PREMLATA SHRIVASTAVA है. प्रकाशन के बाद में मेरे नाम व मेरी माता के नाम में श्रीवास्तव सरनेम जोड़ा जावे. जो सत्य एवं सही है.

पुराना नाम

(ADITYA NAMDEO)

(G-684)

नया नाम

(ADITYA SHRIVASTAVA)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मोहम्मद शौकत खान, निवासी इनायत पुरा, कोलार रोड, भोपाल (म.प्र.) का हूँ. यह कि मेरा वास्तविक नाम मोहम्मद शौकत खान (MOHAMMAD SHAUKAT KHAN) है, आधारकार्ड में त्रुटिवश मो. शौकत अली अंकित हो गया है. भविष्य में मेरे वास्तविक नाम मोहम्मद शौकत खान के नाम से जाना-पहचाना, जाऊंगा एवं सभी शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में लिखा एवं संबोधित किया जाये.

पुराना नाम

(मो. शौकत अली)

(G-685)

नया नाम

(मोहम्मद शौकत खान)

(MOHAMMAD SHAUKAT KHAN)

आम सूचना

मैं, निखिल पटेल पिता श्री वंशपति प्रसाद पटेल, निवासी-48, मधुवन कॉलोनी, इंदौर भागीदारी फर्म कैरियर केयर कन्सलटेन्सी, पता-48, मधुवन कॉलोनी इंदौर, द्वितीय भागीदार अखिल पटेल पिता श्री वंशपति प्रसाद पटेल, निवासी-48, मधुवन कॉलोनी, इंदौर, दोनों भागीदारों की सहमति से दिनांक 16-1-2024 से फर्म को डिसाल्व कर दिये हैं और फर्म के दोनों भागीदार फर्म की सम्पत्ति को बराबर-बराबर भाग में अपने-अपने नाम पर करवाने हेतु सहमत हैं.

कैरियर केयर कन्सलटेन्सी,

(निखिल पटेल)

पार्टनर

इन्दौर (म.प्र.).

(G-686)

PUBLIC NOTICE

PUBLIC NOTICE IS HEREBY Given that the partnership firm M/s TRIVENI REAL ESTATE AND DEVELOPERS Registered office at 90, Shalini Road, Dewas (M.P.) 455001 which was constituted vide partnership deed executed on 5th July, 2010 and duly registered at Ujjain in the Assistant Registrar of Firms bearing No. 07-38-01-00089-11, Dated 1-2-2011 and the initial partners are Shri Kailash Kumar Jain S/o Shri Indermal Ji Jain, Shri Ravindra Jain S/o Shri Dhanraj ji Jain, Shri Haider Ali S/o Shri Akbar Ali Lohawala, Shri Murtuja Ali S/o Shri Haider Ali Lohawala, Shri Gautam Jain S/o Shri Vijendra Jain, Shri Gourav Jain S/o Shri Kailash Kumar Jain and Mustafa Ali S/o Shri Haider Ali Lohawala.

In this partnership firm subsequently Shri Kailash Kumar Jain had retired from firm on 31st day of January, 2015 due to death and his legal heir Smt. Manjubala Jain W/o late Shri Kailash Kumar Jain has been adopted as partner in place of deceased partner vide reconstituted partnership deed executed on 1st day of February, 2015.

Further take Notice that the said business will be carried on by under signed being continuing partner and incoming partner under the old name and style.

For TRIVENI REAL ESTATE AND DEVELOPERS,
(GAURAV JAIN)

S/o Late Shri Kailash Kumar Jain,

Partner

90, Shalini Road, Dewas (M.P.).

(G-687)

PUBLIC NOTICE

PUBLIC NOTICE IS HEREBY Given that the partnership firm M/s TRUPTI ENTERPRISES Registered office at 9 & 10, Prabhu Shree Nagar, Civil Line, Dewas (M.P.) 455001 which was constituted vide partnership deed executed on 15th November, 2002 and duly registered at Ujjain in the Assistant Registrar of Firms bearing No. 07-38-01-00048-05, Dated 26-2-2005 and the initial partners were Shri Upendra Tiwari S/o Shri Tribhuvan Prasad Tiwari, Smt. Premvati Tiwari W/o Shri Tribhuvan Prasad Tiwari and Smt. Ruchita Tiwari W/o Shri Upendra Tiwari.

In this partnership firm subsequently, the address of the firm has been changed from Maa Tulja Bhawani Complex, Jamgod, Distt. Dewas (M.P.) 455001 to at 24, Ram Rahim Nagar, Dewas (M.P.) 455001, vide Rectification Deed executed on 25-2-2005.

Further, on 23-11-2005 the partner Shri Upendra Tiwari Tiwari had retired from firm due to death in a road accident and his legal heir (wife and third party of the partnership firm) Smt. Ruchita Tiwari has taken over the share of deceased partner, in view of Clause No. 11 of Partnership Deed dated 15/11/2002. However, for giving effect of this deeming provision and quantification of share of profit/loss and remuneration amongst the remaining partners, afresh a supplementary partnership deed has been executed on 10/06/2013.

Further, the partner- Shri Bhuvanesh Tiwari S/o Late Shri Upendra Tiwari has joined the firm w.e.f. 01/04/2023 vide Reconstituted Partnership Deed executed on 26-4-2023.

Further, the address of the firm has been changed from 24, Ram Rahim Nagar, Dewas to 9 & 10, Prabhu Shree Nagar, Civil Lines, Dewas (M.P.) 455001.

Further, take Notice that the said business will be carried on by incoming and continuing partners under the old name and style.

For TRUPTI ENTERPRISES,

(PREMVATI TIWARI)

W/o Shri Tribhuvan Prasad Tiwari,

Partner

9&10, Prabhu Shree Nagar,

Civil Line, Dewas (M.P.).

(G-688)

PUBLIC NOTICE

PUBLIC NOTICE IS HEREBY Given that the partnership firm M/S AASTHA LAND AND COMPANY Registered office at 98, Subhash Chowk, Dewas-455 001 (M.P.) which was constituted *vide* partnership deed executed on 24th April, 2013 and duly registered at Ujjain in the office of the Assistant Registrar of Firms bearing No. 07-38-01-00012-13, Dated 11-7-2013 and the initial partners are Smt. Archana Ahuja W/o Shri Shyamsunder Ahuja and Shri Trilokchand Shah S/o Late Shri Uttamchand Shah.

In this partnership firm subsequently Shri Trilokchand Shah had retired from firm on 26th day of April, 2023 due to death and his legal heir Shri Darshan Shah S/o Late Shri Trilokchand Shah has been adopted as partner in place of deceased partner from 26th day of April, 2023 *vide* reconstituted partnership deed executed on 16th day of May, 2023.

Further take Notice that the said business will be carried on by under signed being continuing partner and incoming partner under the old name and style.

For M/S AASTHA LAND AND COMPANY,

(ARCHANA AHUJA)

W/o Shri Shyamsunder Ahuja,
Partner

Address-11-B, Anandrisi Nagar,
Dewas (M.P.).

(G-689)

CHANGE OF NAME

This is to inform all, that before marriage my name was PREETI NEMA Daughter of late Mr. SITARAM NEMA and after marriage solemnized my name PREETI GUPTA wife of Mr. ANAND GUPTA. I should be known by new name PREETI GUPTA wife of Mr. ANAND GUPTA.

Old Name

(PREETI NEMA)

D/o Late Mr. Sitaram Nema

New Name

(PREETI GUPTA)

W/o Mr. Anand Gupta,
Address-LIG-82 A, Sector 3C,
Saket Nagar, Bhopal (M.P.).

(G-690)

आम सूचना

मेरे पक्षकार कम्फर्ट बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स, 116, गुरुनानकपुरा, भोपाल (म.प्र.) द्वारा पार्टनर (भागीदार) श्री जतीन्दर चड्डा पुत्र स्व. श्री बी. एस. कौमी एवं श्री गुरनव चड्डा पुत्र श्री जतीन्दर चड्डा दोनों निवासी-विला नं. 12, पेबल बे फेस-III, बागमुगलिया, कटारा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) की ओर से सर्वसाधारण व हर खास व्यक्ति को सूचित करता हूँ कि उनकी भागीदारी फर्म कम्फर्ट बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स, 116, गुरुनानकपुरा, भोपाल (म.प्र.) की पार्टनरशिप डीड में दिनांक 29-11-2023 को संशोधन किया जाकर फर्म की रचना में परिवर्तन किया गया है एवं उक्त भागीदारी फर्म में श्रीमती कुलविंदर कौर चड्डा पत्नी श्री जतिन्दर चड्डा, निवासी-विला नं. 12, पेबल बे फेस-III, बागमुगलिया, कटारा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) को बतौर भागीदार सम्मिलित किया गया है. जिसके पश्चात् अब भागीदारी फर्म कम्फर्ट बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स, 116, गुरुनानकपुरा, भोपाल (म.प्र.) में कुल तीन भागीदार हो गए हैं. अतः सर्वसाधारण व हर खास व्यक्ति को सूचित हो.

Comfort Builders & Developers,

(जतिन्दर चड्डा)

Partner.

(G-691)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स राजेय मिनरल्स, पता-खसरा नं. 1160 पुरा, तहसील लवकुशनगर, जिला छतरपुर पंजीयन क्रमांक 06-12-01-00090-10 सन् 2009-10, दिनांक 11-1-2010 पर पंजीकृत है। उक्त फर्म में दिनांक 1-2-2023 को Mrs. VANDANA SINGH, Mrs. ALKA SINGH, Mr. AKEEL AHMAD, Mr. SHAKEEL AHMAD, Mr. PRADEEP SINGH, Mr. DEVENDRA SINGH PARIHAR, Mr. RAJENDRA KUMAR SHIVHARE, Mr. PRADEEP KUMAR AGRAWAL, Mr. DINESH CHANDRA AGRAWAL, Mr. DEVENDRA SHIVHARE, Mr. DHEERENDRA SINGH & Mr. SURAJ PRASAD GUPTA भागीदार थे। उक्त फर्म की रचना में परिवर्तन दिनांक 26-2-2024 को फर्म के भागीदार Mrs. VANDANA SINGH, Mrs. ALKA SINGH, Mr. DEVENDRA SINGH PARIHAR, Mr. PRADEEP SINGH & Mr. DHEERENDRA SINGH स्वेच्छा से फर्म की भागीदारी से पृथक हो गये। जिसका संशोधित विलेख दिनांक 26-2-2024 को निष्पादित किया गया है। वर्तमान में फर्म में Mr. AKEEL AHMAD, Mr. SHAKEEL AHMAD, Mr. RAJENDRA KUMAR SHIVHARE, Mr. PRADEEP KUMAR AGRAWAL, Mr. DINESH CHANDRA AGRAWAL, Mr. DEVENDRA SHIVHARE & Mr. SURAJ PRASAD GUPTA भागीदार हैं। फर्म के भागीदारों के मध्यम कोई भी लेनदारी व देनदारी शेष नहीं है। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है।

मेसर्स राजेय मिनरल्स,

(PRADEEP KUMAR AGRAWAL)

भागीदार

पता-खसरा नं. 1160 पुरा,

तहसील लवकुशनगर, जिला छतरपुर (म.प्र.).

(G-692)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित हो कि मैं, भविष्य यादव (BHAVISHYA YADAV) पुत्र श्री रूपेश यादव का पूर्व में नाम उदय यादव था का अब नाम परिवर्तित हो कर भविष्य यादव हो गया है। अब प्रकाशन उपरांत मुझे भविष्य यादव के नाम से ही जाना और पहचाना जाए।

पुराना नाम

(उदय यादव)

नया नाम

(भविष्य यादव)

पता-71, कोलीपुरा जैल रोड,

जहांगीराबाद, भोपाल.

(G-693)

CHANGE OF NAME

I, Praphul Holkar D/o Yadavrao Holkar here by Declare That I have changed My name as Kum. Praphul Y. Holkar So, from now and in future I will be known by my new name. Praphul Holkar D/o Yadavrao Holkar.

Old Name

(KUM. PRAPHULY. HOLKAR)

New Name

(PRAPHUL HOLKAR)

D/o Yadavrao Holkar.

(G-694)

CHANGE OF NAME

I, Aravindr Kumar Sharma S/o Ram Naresh Sharma here by Declare that I have changed My name as Arvindr Kumar Sharma S/o Ram Naresh Sharma So, from now and in future I will be known by my new name Arvindr Kumar Sharma S/o Ram Naresh Sharma.

Old Name

(ARAVINDR KUMAR SHARMA)

(G-695)

New Name

(ARVINDR KUMAR SHARMA)

S/o Ram Naresh Sharma.

नाम परिवर्तन

मैं, मोनु हिरे पिता श्री भारत सिंह हिरे, निवासी—जेल रोड, राजीव नगर, खण्डवा (म.प्र.). यह सूचित करता हूँ कि पूर्व में मेरा नाम मोनु हिरे पिता श्री भारत सिंह हिरे था. मेरा नाम परिवर्तित करके मानस हिरे पिता श्री भारत सिंह हिरे हो गया है. भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना—पहचाना जाए.

पुराना नाम

(मोनु हिरे)

(G-696)

नया नाम

(मानस हिरे)**नाम परिवर्तन**

सर्वसाधारण को सूचित किया जा रहा है कि मेरा पूर्व नाम सुदीप किर्ती नागर पिता श्री सूर्यशंकर नागर था. परन्तु आधार कार्ड, पर मेरा नाम सुदीप नागर पिता श्री सूर्यशंकर नागर अंकित है. भविष्य में सुदीप नागर पिता श्री सूर्यशंकर नागर नाम से जाना एवं पहचाना जाऊंगा.

पुराना नाम

(सुदीप किर्ती नागर)

(G-697)

नया नाम

(सुदीप नागर)

पिता—श्री सूर्यशंकर नागर.

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जा रहा है कि मैं, खुशी वाधवानी (KHUSHI WADHWANI) पति श्री संदीप वाधवानी सूचित करती हूँ कि मेरा पूर्व नाम चांदनी सुखदानी पति श्री संदीप वाधवानी था. जो कि मेरे आधार कार्ड पर दर्ज है, अब मैं अपना वास्तविक नाम खुशी वाधवानी (KHUSHI WADHWANI) पति श्री संदीप वाधवानी दर्ज करवाना चाहती हूँ. भविष्य में खुशी वाधवानी (KHUSHI WADHWANI) पति श्री संदीप वाधवानी नाम से जानी एवं पहचानी जाऊंगी.

पुराना नाम

(चांदनी सुखदानी)

(G-698)

नया नाम

(खुशी वाधवानी)**(KHUSHI WADHWANI)**

पति—श्री संदीप वाधवानी.

CHANGE OF NAME

I, ARMY NO. 14216686W RANK EX NK NAME RAM DILBAGH SINGH GILL S/o LATE NIRMOLAK SINGH GILL R/o H No. 05, LAKSHMI BAI WARD, MANDLA ROAD, BILHARI, JABALPUR (M.P.). I have change of my name from RAMDILBAGH SINGH (name as per my PPO.) to my name RAM DILBAGH SINGH GILL (name as per my AADHAR CARD).

Old Name

(RAMDILBAGH SINGH)

(G-699)

New Name

(RAM DILBAGH SINGH GILL)

विविध न्यायालयों की सूचनाएं

कार्यालय, रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट अधिकारी, उज्जैन नगर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश

क्र./एसडीएम नगर/रीडर-1/2023/H.N.458

उज्जैन, दिनांक 4 मार्च 2024

प्रारूप-चार

[नियम-5(1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1959 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2)

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम 5(1) देखिए]

पंजीयक,

लोक न्यास,

उज्जैन, जिला उज्जैन के समक्ष.

चूंकि आवेदक स्वामी रामतीर्थ, निवासी-65, योगीपुरा उज्जैन (म.प्र.) द्वारा "श्री स्वामी शंकरतीर्थ कृष्णेश्वर महादेव ट्रस्ट" उज्जैन ने (म.प्र.) लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में लोक न्यास के रूप में पंजीकृत कराने के लिये आवेदन किया है, एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदक मेरे न्यायालय में दिनांक 15 अप्रैल, 2024 को दोपहर 3:00 बजे स्थान- सम्राट विक्रमादित्य प्रशासनिक संकुल भवन के प्रथम तल में खण्ड-स के कक्ष क्रमांक-101 में विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अतः मैं, पंजीयक लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), उज्जैन नगर, जिला उज्जैन का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 4 मार्च, 2024 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूँ.

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यवाही, न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्राह्य नहीं किया जाएगा:-

अनुसूची

(लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन, लोक न्यास का नाम और पता)

न्यास का नाम	:	"श्री स्वामी शंकरतीर्थ कृष्णेश्वर महादेव ट्रस्ट उज्जैन"
कार्यालय	:	65, योगीपुरा, उज्जैन (म.प्र.).
अचल सम्पत्ति	:	वर्तमान में न्यास के पास अचल संपत्ति शून्य दर्शाई है.
चल सम्पत्ति	:	वर्तमान में न्यास के पास चल संपत्ति शून्य दर्शाई है.

(G-700)

क्रमांक/एसडीएम नगर/रीडर-1/2024/H.N.459

प्रारूप-चार

[नियम-5(1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1959 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2)

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962 का नियम 5(1) देखिए]

पंजीयक,
लोक न्यास,
उज्जैन, जिला उज्जैन के समक्ष.

चूंकि आवेदक श्री कांतिलाल भटेवरा पिता हजारीमल भटेवरा, निवासी-57/1, "रूपांक" खाराकुआं, उज्जैन (म.प्र.) द्वारा "श्री वासुपुज्य स्वामी जी जैन श्वेताम्बर मंदिर एवं उपाश्रय धार्मिक न्यास भटेवरा समाज उज्जैन" उज्जैन ने (म.प्र.), लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में लोक न्यास के रूप में पंजीकृत कराने के लिये आवेदन किया है, एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदक मेरे न्यायालय में दिनांक 15 अप्रैल, 2024 को दोपहर 3:00 बजे स्थान- सम्राट विक्रमादित्य प्रशासनिक संकुल भवन के प्रथम तल में खण्ड-स के कक्ष क्रमांक-101 में विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अतः मैं, पंजीयक लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) उज्जैन नगर जिला उज्जैन का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 4 मार्च, 2024 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूँ.

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यवाही, न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्राह्य नहीं किया जाएगा:-

अनुसूची

(लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन, लोक न्यास का नाम और पता)

न्यास का नाम	:	"श्री वासुपुज्य स्वामी जी जैन श्वेताम्बर मंदिर एवं उपाश्रय धार्मिक न्यास भटेवरा समाज उज्जैन"
कार्यालय	:	नवीन म्युनिसिपल क्रमांक 2/2, श्री वासुपुज्य स्वामी जी की गली, बलवट भेरू के सामने, शंकराचार्य मार्ग की गली क्रमांक 2 उज्जैन (म.प्र.).
अचल सम्पत्ति	:	वर्तमान में ट्रस्ट की अचल संपत्ति के अधीन (पुरानी म्युनिसिपल क्रमांक 4/764) (नवीन म्युनिसिपल क्रमांक 2/2 एवं 2/1), श्री वासुपुज्य स्वामी जी की गली, बटवट भेरू के सामने, शंकराचार्य मार्ग की गली क्रमांक 2 उज्जैन का संपूर्ण भाग है. जिस पर 1190.4 वर्ग फीट पर मंदिर का निर्माण किया गया है तथा 2760.9 वर्ग फीट भाग पर उपाश्रय का निर्माण किया गया है.
चल सम्पत्ति	:	ट्रस्ट ने बॉयलाज एवं आवेदन में उल्लेखित चल सम्पत्ति अंतर्गत मंदिर में विराजित बेशकीमती पत्थर व धातु की मूर्तियां, भगवान के सोने चांदी के जेवरात, मूल्यवान पूजन के उपकरण बैंक में फिक्स डिपॉजिट आदि दर्शाया गया है.

(G-701)

लक्ष्मीनारायण गर्ग, पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय, पंजीयक, सार्वजनिक लोक न्यास नेपानगर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश

क्र./लो.न्या./2024.

रा.प्र.-क्र.-0004-बी-113-2023-24

नेपानगर, दिनांक 20 फरवरी, 2024

(नियम पांच-1 देखिए)

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत]

एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, पंजीयक लोक न्यास, नेपानगर, जिला बुरहानपुर के समक्ष माँ आशादेवी मंदिर ट्रस्ट ग्राम असिरगढ़, तहसील धुलकोट, जिला बुरहानपुर मध्यप्रदेश के द्वारा अध्यक्ष संतोष पिता दत्तप्रसाद चौहान, निवासी ग्राम असिरगढ़, तहसील धुलकोट, जिला बुरहानपुर का लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अंतर्गत अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है. एतद्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन-पत्र दिनांक 16-1-2024 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया गया है.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुये कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों पर विचार में नहीं लिया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता सम्पत्ति का विवरण)

1. माँ आशादेवी मंदिर ट्रस्ट ग्राम असिरगढ़, तहसील धुलकोट, जिला बुरहानपुर मध्यप्रदेश.
2. अध्यक्ष : संतोष पिता दत्तप्रसाद चौहान, निवासी ग्राम असिरगढ़, तहसील धुलकोट, जिला बुरहानपुर.
3. चल सम्पत्ति : निरंक
4. अचल सम्पत्ति : ग्राम पंचायत असिरगढ़ में डिमांड क्रमांक 171 रकबा 1000 वर्गफीट

(G-702)

अजमेर सिंह गोंड, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट परगना व जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश
प्र.-क्र.-0002-23-24-बी-113 (ट्रस्ट गठन)

फार्म-4

[नियम (1) देखिए]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा 5(1) के अन्तर्गत]

जैसा कि उमा भारती पुत्री सुदामा लाल, निवासी दौनियापुरा द्वारा (श्रीमती रामवती मनीराम समाज कल्याण ट्रस्ट) पब्लिक न्यास का गठन किए जाने हेतु आवेदन-पत्र मय सहपत्रों के जर्जे अधिवक्ता द्वारा पेश किया गया.

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे द्वारा दिनांक 20-3-2024 को विचार में लिया जावेगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो लिखित में दो प्रतियों में इस सूचना के प्रकाशन के एक माह में माध्यम से अभिकर्ता या स्वयं मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है. उपयुक्त अवधि समाप्त के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

1. ट्रस्ट का नाम : श्रीमती रामवती मनीराम समाज कल्याण ट्रस्ट भिण्ड.

(G-703)

अखिलेश शर्मा, अनुविभागीय अधिकारी रजिस्ट्रार.

न्यायालय, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व अनुभाग, (मल्हारगंज) इंदौर, मध्यप्रदेश
[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 (तीस) (95) की धारा 5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम 1963 नियम 5(1) के अन्तर्गत]

आवेदक "अमेच्योर क्वान की डो एसोसिएशन ऑफ मध्यप्रदेश" तर्फे अध्यक्ष अभिषेक वर्मा, कार्यालय पता-338, श्री लक्ष्मी नगर छोटा बांगडदा रोड एरोडम इंदौर, मध्यप्रदेश द्वारा "अमेच्योर क्वान की डो एसोसिएशन ऑफ मध्यप्रदेश" का मध्यप्रदेश का पब्लिक एक्ट की धारा 4(2) के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तयार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल संपत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	"अमेच्योर क्वान की डो एसोसिएशन ऑफ मध्यप्रदेश".
कार्यालय पता	:	338, श्री लक्ष्मी नगर छोटा बांगडदा रोड एरोडम, इंदौर मध्यप्रदेश.
चल सम्पत्ति	:	5,000/- (अक्षरी रुपये पाँच हजार मात्र)
अचल सम्पत्ति	:	निरंक

आज दिनांक 24 फरवरी 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

(G-704)

ओम नारायण सिंह बडकूल, पंजीयक.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक लोक न्यास जूनी इंदौर क्षेत्र, जिला इंदौर, मध्यप्रदेश

जूनी इन्दौर, दिनांक 7 मार्च 2024

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा 5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5(1) के अन्तर्गत]

क्र. 2939-रीडर-1-24.-आवेदक श्री अग्रवाल समाज पूर्व क्षेत्र पारमार्थिक न्यास, पता-बी. जी. 171, स्कीम नं. 74 सेक्टर सी, इन्दौर की ओर से आवेदक द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा 4 के अंतर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तयार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं। निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल संपत्ति का विवरण)

श्री अग्रवाल समाज पूर्व क्षेत्र पारमार्थिक न्यास, पता-बी. जी. 171, स्कीम नं. 74 सेक्टर सी, इन्दौर.		
अचल सम्पत्ति	:	निरंक
चल सम्पत्ति	:	5,00,000

आज दिनांक 7 मार्च, 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

(G-705)

घनश्याम धनगर, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट बालाघाट, मध्यप्रदेश

रा.प्र.क्र.-01-बी-113-2023-24

बालाघाट, दिनांक 22 मार्च, 2024

प्रारूप-चार

[नियम-5(1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2)

मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1962 का नियम 5(1) के अंतर्गत]

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बालाघाट, जिला-बालाघाट के समक्ष.

चूँकि श्री सोहन वैद्य (अध्यक्ष) आत्मज श्री कस्तुरचंद वैद्य, निवासी वार्ड नं. 17, मेन रोड, बालाघाट (म.प्र.) ने लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया गया है. एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 22-4-2024 को विचार के लिये लिया जायेगा.

अतः मैं, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट बालाघाट (गौतम लब्धी निधि ट्रस्ट बालाघाट) लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 22-4-2024 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जाँच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासी या कार्यकारी न्यासी या उसमें हित रखने वाले और किसी सम्पत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से 15 दिवस के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकता है और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जायेगा:-

अनुसूची

1. ट्रस्ट का नाम : (गौतम लब्धी निधि ट्रस्ट बालाघाट)
2. चल सम्पत्ति : निरंक
3. अचल सम्पत्ति : निरंक

आज दिनांक 22 मार्च, 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी की गई.

(G-706)

गोपाल सोनी, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बदनावर, जिला धार मध्यप्रदेश

क्र.-346-रीडर-1-2024.

बदनावर, दिनांक 28 फरवरी, 2024

फार्म नम्बर-03

[देखिए नियम-4(2)]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950, (तीस 1951) की धारा 4 के तहत न्यास पंजीयन बदनावर]

चूँकि ट्रस्ट "वर्द्धमानपुर शोध संस्थान न्यास बदनावर" में इस नोट्स के शेड्यूल के दर्शाये हुए जायदाद के पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) के बाबद् मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत किया है, याद रखे ऊपर दिये हुए अर्ज पर विचार मेरे न्यायालय में दिनांक 27-3-2024 को किया जावेगा.

जो भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट की जायदाद के कारोबार में दिलचस्पी रखते हों, और जिसका उक्त बाबद् कोई विरोध करने का इरादा हो या सुझाव, वह जवाब दावा दो प्रतियों में इस सूचना-पत्र के प्रकाशन दिनांक से एक माह में भेजने की तजबीर करें, और मेरे समक्ष दिनांक 27-3-2024 को प्रस्तुत करें. उक्त अवधि के बाद प्राप्त हुई आपत्ति विचार योग्य नहीं मानी जावेगी.

आज दिनांक 28 फरवरी, 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय पदमुद्रा से जारी.

(लोक न्यास का नाम और पता तथा सम्पत्ति का विवरण)

लोक न्यास का नाम	: "वर्द्धमानपुर शोध संस्थान न्यास"
लोक न्यास का पता	: बदनावर, तहसील बदनावर, जिला धार.
चल सम्पत्ति	: श्रीमती कीर्ति ओम पाटोदी के पास राशि रुपये 1,00,008/- न्यास उद्देश्य की पूर्ति हेतु जमा है.
अचल सम्पत्ति	: निरंक

(G-707)

दीपक चौहान, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट वृत्त गोविन्दपुरा, भोपाल, मध्यप्रदेश
क्र.-466-अ.वि.अ.-वृत्तगो.-24. भोपाल, दिनांक 12 मार्च, 2024

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा 5 (1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1952 के नियम 5(1) के अन्तर्गत]
समक्ष रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट, जिला भोपाल.

जैसा कि आवेदक संस्था श्री मनसापूरण हनुमान मंदिर ट्रस्ट भोपाल, कार्यालय म.नं. 187, 188 संतोषी विहार अयोध्या बायपास रोड, भोपाल म.प्र. के द्वारा म.प्र. पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन-पत्र सूची में दर्शाई सम्पत्ति के अनुसार पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया है.

2. एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांक 18-4-2024 को विचार में लिया जावेगा. यदि कोई भी व्यक्ति या संस्था जो ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो लिखित में सूचना के प्रकाशन के एक माह के भीतर स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से उक्त प्रकरण में मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है. उपर्युक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

ट्रस्ट का नाम व पता	: श्री मनसापूरण हनुमान मंदिर ट्रस्ट भोपाल, म.नं. 187, 188 संतोषी विहार अयोध्या बायपास रोड, भोपाल मध्यप्रदेश.
न्यास कार्यालय का पता	: म.नं. 187, 188 संतोषी विहार अयोध्या बायपास रोड, भोपाल मध्यप्रदेश.
अचल सम्पत्ति	: निरंक
चल सम्पत्ति	: 1001

(G-708)

रवीश श्रीवास्तव, अनुविभागीय अधिकारी.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, नजूल संत हिरदाराम नगर,
(बैरागढ़) वृत्त, जिला भोपाल

प्र.क्र.-0007-बी-113-2023-24.

भोपाल, दिनांक 26 मार्च, 2024

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1951 की धारा 5(1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1952 के नियम 5(1) के अंतर्गत]

जैसा कि "योगवर्स फाउण्डेशन व्यास का न्यासी तथा न्यास" द्वारा अध्यक्ष श्री मनोज वर्मा, पंजीकृत पता-प्लेट नंबर डी थर्ड फ्लोर मीनाक्षी रीजेन्सी ईदगाह हिल्स भोपाल (म.प्र.) की ओर से म.प्र. पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत अनुसूची में दर्शाई गई सम्पत्ति के पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है.

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा 15-4-2024 को विचार में लिया जावेगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो या कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, लिखित में दो प्रतियों में इस सूचना के प्रकाशन के "एक माह" के भीतर प्रस्तुत करें अथवा उक्त दिनांक को मेरे समक्ष स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है. उपर्युक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

1. ट्रस्ट का नाम व पता : "योगवर्स फाउण्डेशन व्यास का न्यासी तथा न्यास" द्वारा
अध्यक्ष श्री मनोज वर्मा,
पंजीकृत पता—प्लेट नंबर डी थर्ड फ्लोर मीनाक्षी रीजेन्सी
ईदगाह हिल्स, भोपाल (म.प्र.)
2. चल सम्पत्ति : 1000 /—
3. अचल सम्पत्ति : निरंक

आज दिनांक मार्च, 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई.

(G-709)

विनोद सोनकिया, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

न्यायालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, सारंगपुर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) मध्यप्रदेश

क्र.—प्रवा.—2—2024

सारंगपुर, दिनांक 14 मार्च, 2024

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 5(2) और म.प्र. लोक न्यास अधिनियम 1962 की धारा 5(2) देखिए]

शीर्षक—श्रीमती चंद्राबाई—दीपचंद श्रीमाल पारिमार्थिक न्यास ट्रस्ट पंजीयक लोक न्यास के समक्ष.

क्रमांक 02/बी-113-2022-23.— चूंकि आवेदकगण श्री अनिल कुमार श्रीमाल, पिता श्री सज्जनसिंह श्रीमाल एवं श्री प्रकाश कुमार श्रीमाल पिता स्वर्गीय श्री भंवरलाल श्रीमाल हाल., निवासी सारंगपुर द्वारा श्रीमती चंद्राबाई—दीपचंद श्रीमाल पारिमार्थिक न्यास ट्रस्ट सारंगपुर के पंजीयन हेतु इस न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है. जिसकी चल-अचल संपत्ति परिशिष्ट में दर्शाई गई है. सर्व संबंधित को यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रार्थना पत्र मेरे न्यायालय में विचारार्थ नियत है. जो भी व्यक्ति उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो इसके बारे में कोई सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस अधिसूचना द्वारा सूचना दी जाती है कि वह अवधि सूचना प्रकाशन से 30 दिवस के अंदर सुझाव, आपत्ति दो प्रति में स्वयं या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करें.

उक्त नियत अवधि के पश्चात् सुझाव-आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा.

परिशिष्ट—अ

(लोक न्यास का नाम और पता एवं संपत्ति का विवरण)

1. श्रीमती चंद्राबाई—दीपचंद श्रीमाल पारिमार्थिक न्यास ट्रस्ट सारंगपुर.
2. न्यास की चल संपत्ति का विवरण— नग 43, बारदान सहित वनज, अनुमानित नेट वेट 585—250 ग्राम, 630—250 ग्राम है. इसके अतिरिक्त 19027 /— रुपये अक्षरी उन्नीस हजार, सत्ताइस रुपये नकद, सोने की चूड़ी 4, पुरानी नई चूड़ी 04, अंगूठी नग— 2 तथा गले की चेन 1, जुमला नग— 11 है.

उक्त सोने के जेवर व नकद रकम के अलावा स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर शाखा सारंगपुर में फिक्स डिपॉजिट रसीद संख्या 5 की कुल राशि 3,94,759=04 है। स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर, शाखा सारंगपुर में मेरे नाम से सेविंग एकाउन्ट है. जिसका क्रमांक 01190005764 है. इस खाते में दिनांक 1—9—05 तक 10340=15 पैसों अक्षरी दस हजार, तीन सौ चालीस रुपये.

3. न्यास की अचल सम्पत्ति:—भवन नं. 54 जो वार्ड क्रमांक 3 बनीयावाडी में स्थित है. खुली भूमि क्रमांक 16 वार्ड क्रमांक 3 बनीयावाडी सारंगपुर में स्थित है.

उक्त विज्ञप्ति आज दिनांक-3-2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई.

(G-710)

संजय उपाध्याय, पंजीयक.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सबलगढ़, जिला मुरैना, मध्यप्रदेश

प्र.क्र.-01-2023-24-बी-113

सबलगढ़, दिनांक 21 मार्च 2024

फार्म नम्बर-03

[देखिए नियम-4(2)]

(मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 के तहत पब्लिक ट्रस्ट पंजीयन सबलगढ़ जिला मुरैना)

जैसा कि 1. श्री संदीपसिंह पुत्र होरीलाल, उम्र 33 वर्ष, निवासी-ग्राम बत्तोखर, सबलगढ़, 2. श्री देवेन्द्र शर्मा पुत्र श्री भवानी शंकर शर्मा, उम्र 45 वर्ष, निवासी ग्राम रामपुरकला, सबलगढ़, 3. श्री जीतेन्द्र जाटव पुत्र श्री लालपति जाटव, उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम रामपुरकला, सबलगढ़, जिला मुरैना द्वारा अनुसूची में दर्शित न्यास/सम्पत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन करने हेतु मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है। एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र पर मेरे न्यायालय में दिनांक 22 अप्रैल 2024 को विचार किया जायेगा।

उक्त पब्लिक ट्रस्ट के कार्य अथवा संपत्ति से कोई व्यक्ति यदि हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के एक माह के भीतर लिखित विवरण दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है और वह स्वयं अथवा अधिवक्ता/अभिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित हो सकता है। समयावधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा:-

अनुसूची

पब्लिक ट्रस्ट का नाम : सनातन समाज सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट

पब्लिक ट्रस्ट का पता : गांधीपार्क के पास ग्राम बत्तोखर, पोस्ट राजाकातोर, तहसील सबलगढ़, मुरैना (म.प्र.).

चल सम्पत्ति : निरंक

अचल सम्पत्ति : निरंक

आज दिनांक 21 मार्च 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा के अधीन जारी.

(G-711)

वीरेन्द्र कटारे, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं पंजीयन.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, सागर, मध्यप्रदेश

सागर, दिनांक 28 फरवरी 2024

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57(सी) के अन्तर्गत]

क्र.-परि.-2024-343.-उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर के आदेशानुसार मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., कांटी	799 / 12-4-2002	1790 / 28-8-2023
2.	ग्रामीण मत्स्य उद्योग सहकारी समिति मर्या., शाहगढ़	1128 / 12-07-2001	1793 / 28-8-2023

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	आदर्श पोशाक निर्माता सहकारी संस्था मर्या., सागर	156 / 12-11-1965	679 / 28-4-2023
4.	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बिलहरा	156 / 23-6-2011	940 / 3-5-2023
5.	सोना बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खुरई	139 / 14-12-2007	941 / 3-5-2023
6.	अन्नपूर्णा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., अमरमऊ	133 / 07-03-2003	942 / 3-5-2023
7.	माणिक बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., शाहपुर	159 / 28-9-2012	939 / 3-5-2023
8.	बुन्देलखण्ड बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., केसली.	160 / 21-1-2013	938 / 3-5-2023
9.	महिला हाथकरघा बुनकर सहकारी समिति मर्या., पुरव्याऊ	384 / 29-6-1992	943 / 3-5-2023
10.	गरीब हाथकरघा बुनकर सहकारी समिति मर्या., गुगवारा	443 / 8-11-1993	944 / 3-5-2023
11.	मछुआ सहकारी समिति मर्या., गूगराखुर्द	1456 / 18-9-2012	142 / 9-2-2024
12.	मत्स्य पालन सहकारी समिति मर्या., जालमपुर	1466 / 16-9-2013	143 / 9-2-2024
13.	मछली सहकारी समिति मर्या., बजरेड़ा	1515 / 2-12-2014	145 / 9-2-2024
14.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., विनेका	802 / 17-4-2002	156 / 9-2-2024
15.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., महुना	883 / 27-7-2002	169 / 9-2-2024

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्टित हो गई हैं, अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों की इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाणों के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे समक्ष कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सागर में कार्यालयीन दिवसों में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्ति मान्य नहीं होगी तथा संस्थाओं की लेखा-पुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां/डेडस्टाक/संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख या रिकार्ड एवं डेडस्टाक नहीं सौंपे गये हैं, तो सम्बन्धित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित की होगी.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती है, तो दावेदारों/साहूकारों / सदस्यों के दावे, आपत्तियों तथा लेनदारी एवं देनदारी का निराकरण गतवर्षों की अंकेक्षित स्थिति विवरण पत्रकों के आधार पर परिसमापक के विवेक व सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त किया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 28 फरवरी 2024 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

(G-712)

रामजी खरे, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

कार्यालय, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारिता विभाग, सागर, मध्यप्रदेश

सागर, दिनांक 6 मार्च 2024

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57(सी) के अन्तर्गत]

क्र.-परि.-2024-343.-उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर के आदेशानुसार मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	सीता प्राथमिक उपभोक्ता भंडार मर्या., खुरई	1203 / 16-6-2015	1789 / 28-8-2023
2.	ओम बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., ग्वारी	154 / 21-12-2010	1789 / 28-8-2023
3.	महिला जागृति प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., सागर.	552 / 22-7-1993	641 / 28-4-2023
4.	शहीद साबूलाल प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., रामपुरा वार्ड सागर.	655 / 20-11-1996	642 / 28-4-2023
5.	बलराम प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., इन्द्रानगर सागर.	670 / 21-2-1997	643 / 28-4-2023
6.	मधुकरशाह प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., मधुकरशाह वार्ड सागर.	711 / 7-10-1997	644 / 28-4-2023..
7.	महिला संजय गांधी प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., शाहपुर.	679 / 12-5-1997	645 / 28-4-2023
8.	अनुसूचित जाति महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., ग्राम पड़रिया, जिला सागर.	724 / 19-12-1997	646 / 28-4-2023
9.	करापुर प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., करापुर	701 / 6-8-1997	649 / 28-4-2023
10.	महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., बीना	658 / 28-11-1996	650 / 28-4-2023
11.	शिवानी महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., बण्डा	651 / 7-11-1996	651 / 28-4-2023
12.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., सेमराकाछी	1065 / 1-9-2003	175 / 9-2-2024
13.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., नगदा	1193 / 13-4-2005	177 / 9-2-2024

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्टित हो गई हैं, अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों की इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाणों के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे समक्ष कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सागर में कार्यालयीन दिवसों में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्ति मान्य नहीं होगी तथा संस्थाओं की लेखा-पुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां/डेडस्टाक/संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख या रिकार्ड एवं डेडस्टाक नहीं सौंपे गये हैं, तो सम्बन्धित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित की होगी.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती है, तो दावेदारों/साहूकारों / सदस्यों के दावे, आपत्तियों तथा लेनदारी एवं देनदारी का निराकरण गतवर्षों की अंकेक्षित स्थिति विवरण पत्रकों के आधार पर परिसमापक के विवेक व सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त किया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 29 फरवरी, 2024 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

(G-713)

देवेन्द्र कुमार चन्द्राकर, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

सागर, दिनांक 11 मार्च 2024

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57(सी) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर के आदेशानुसार मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	स्टेट बैंक गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., सागर	46 / 23-11-1987	349 / 15-2-2018
2.	सागरी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., सागर	12 / 2-11-1961	349 / 15-2-2018
3.	सागर सहकारी प्रिंटिंग प्रेस मर्या., सागर	103 / 19-4-1993	349 / 15-2-2018
4.	मत्स्य उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रतौना	117 / 27-8-2004	134 / 9-2-2024
5.	मत्स्य उद्योग सहकारी संस्था मर्या., बांदरी	444 / 28-7-1988	136 / 9-2-2024
6.	ग्रामीण विकास साख सहकारी समिति मर्या., रोड़ा	1521 / 9-4-2015	153 / 9-2-2024
7.	अनुसूचित जाति महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., बांदरी	1054 / 8-7-2003	174 / 9-2-2024
8.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., जामूकेशर	1080 / 7-1-2004	176 / 9-2-2024
9.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., ढाबरी	1104 / 25-3-2024	178 / 9-2-2024

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्टित हो गई हैं, अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों की इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाणों के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे समक्ष कार्यालय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सागर में कार्यालयीन दिवसों में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्ति मान्य नहीं होगी तथा संस्थाओं की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां/डेडस्टाक/संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख या रिकार्ड एवं डेडस्टाक नहीं सौंपे गये हैं, तो सम्बन्धित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित की होगी.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती है, तो दावेदारों/साहूकारों / सदस्यों के दावे, आपत्तियों तथा लेनदारी एवं देनदारी का निराकरण गतवर्षों की अंकेक्षित स्थिति विवरण पत्रकों के आधार पर परिसमापक के विवेक व सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त किया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 11 मार्च, 2024 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

(G-714)

मोतीलाल कोरी, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

सागर, दिनांक 14 मार्च 2024

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57(सी) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर के आदेशानुसार मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., ताजपुर	1503 / 21-08-2014	1794 / 28-8-2023
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., हनौताकलां	1368 / 26-08-2011	1794 / 28-8-2023
3.	गणेश बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सोमला	145 / 30-07-2007	1794 / 28-8-2023
4.	देवी अहिल्या बाई महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., नरयावली	715 / 21-10-1997	1792 / 28-8-2023
5.	जन जागृति प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., केन्ट-02 सदर सागर	1321 / 5-10-2008	652 / 28-4-2023
6.	महारानी लक्ष्मीबाई महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., शनीचरी सागर	561 / 14-2-1994	653 / 28-4-2023
7.	इन्द्रानगर महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., इन्द्रानगर सागर	656 / 23-11-1996	654 / 28-4-2023
8.	शारदा महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., सिविल लाईन वार्ड सागर	657 / 23-11-1996	655 / 28-4-2023
9.	आदर्श प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., राजीव वार्ड , बीना	633 / 13-6-1996	656 / 28-4-2023
10.	महारानी लक्ष्मीबाई प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., बण्डा	641 / 23-8-1996	657 / 28-4-2023
11.	अभिनव प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., संतरविदास वार्ड मकरोनियां, सागर	1528 / 4-11-2015	658 / 28-4-2023
12.	धारणा प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., महात्मा गांधी वार्ड मकरोनियां सागर	1529 / 4-11-2015	659 / 28-4-2023

(1)	(2)	(3)	(4)
13.	ओम प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., काकागंज वार्ड, सागर	1555 / 24-1-2017	660 / 28-4-2023
14.	ग्रामीण मत्स्य पालन सहकारी समिति मर्या., मढ़ेया	1125 / 30-6-2004	135 / 9-2-2024

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्टित हो गई हैं, अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों की इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाणों के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे समक्ष कार्यालय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सागर में कार्यालयीन दिवसों में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्ति मान्य नहीं होगी तथा संस्थाओं की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां/डेडस्टाक/संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख या रिकार्ड एवं डेडस्टाक नहीं सौंपे गये हैं, तो सम्बन्धित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित की होगी.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती है, तो दावेदारों/साहूकारों / सदस्यों के दावे, आपत्तियों तथा लेनदारी एवं देनदारी का निराकरण गतवर्षों की अंकेक्षित स्थिति विवरण पत्रकों के आधार पर परिसमापक के विवेक व सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त किया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 15 मार्च, 2024 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

(G-715)

रिदम जैन, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

सागर, दिनांक 28 फरवरी 2024

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57(सी) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर के आदेशानुसार मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	नागरिक सहकारी बैंक मर्या., सागर	176 / 22-1-1983	2120 / 2-9-2006
2.	जिला थोक उपभोक्ता भण्डार मर्या., सागर	20 / 18-6-1963	1279 / 6-5-2016
3.	उत्तम कृषि सहकारी समिति मर्या., ढाना	36 / 22-3-1960	948 / 26-2-1974
4.	शासकीय कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., सागर.	16 / 29-9-1963	655 / 18-4-2017
5.	मछुआ सहकारी समिति मर्या., खैराना	1530 / 15-12-2015	147 / 9-2-2024

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्टित हो गई हैं, अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों की इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाणों के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे समक्ष कार्यालय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सागर में कार्यालयीन दिवसों में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्ति मान्य नहीं होगी तथा संस्थाओं की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां/डेडस्टाक/संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख या रिकार्ड एवं डेडस्टाक नहीं सौंपे गये हैं, तो सम्बन्धित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित की होगी.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती है, तो दावेदारों/साहूकारों / सदस्यों के दावे, आपत्तियों तथा लेनदारी एवं देनदारी का निराकरण गतवर्षों की अंकेक्षित स्थिति विवरण पत्रकों के आधार पर परिसमापक के विवेक व सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त किया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 28 फरवरी, 2024 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

(G-716)

सी एस झा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

सागर, दिनांक 12 मार्च 2024

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57(सी) के अन्तर्गत]

क्र.-2024-क्यू-डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां जिला सागर के आदेशानुसार मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	बुन्देलखण्ड आफसेट सहकारी मुद्रणालय मर्या., सागर, विकासखण्ड सागर.	124 / 25-7-2002	893 / 15-3-2016
2.	मछुआ सहकारी समिति मर्या., कर्रापुर	284 / 13-4-1973	149 / 9-2-2024

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्टित हो गई हैं, अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों की इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाणों के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे समक्ष कार्यालय, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां जिला सागर में कार्यालयीन दिवसों में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्ति मान्य नहीं होगी तथा संस्थाओं की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां/डेडस्टाक/संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख या रिकार्ड एवं डेडस्टाक नहीं सौंपे गये हैं, तो सम्बन्धित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित की होगी।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती है, तो दावेदारों/साहूकारों / सदस्यों के दावे, आपत्तियों तथा लेनदारी एवं देनदारी का निराकरण गतवर्षों की अंकक्षित स्थिति विवरण पत्रकों के आधार पर परिसमापक के विवेक व सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त किया जावेगा।

यह सूचना आज दिनांक 12 मार्च, 2024 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

(G-717)

दीप्ति गुजरया, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

सागर, दिनांक 12 मार्च, 2024

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57(सी) के अन्तर्गत]

क्र.-2004-क्यू-डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर के आदेशानुसार मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	गैर कृषि साख सहकारी समिति मर्या., पुरव्याऊ, विकासखण्ड सागर.	472	2882 / 1-11-1985
2.	विश्वास ई-रिक्शा परिवहन सहकारी संस्था मर्या., सागर	1552 / 28-11-2016	132 / 9-2-2024
3.	अनन्त सर्वोदय ई-रिक्शा परिवहन सहकारी समिति मर्या., सागर.	1556 / 14-1-2017	133 / 9-2-2024
4.	मछुआ सहकारी समिति मर्या., बाछलोन	1544 / 28-6-2016	148 / 9-2-2024
5.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., सुरखी	1568 / 31-5-2017	179 / 9-2-2024
6.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., नयाखेड़ा	1569 / 22-7-2017	180 / 9-2-2024
7.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., गोसरा	1571 / 21-8-2018	181 / 9-2-2024

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्टित हो गई हैं, अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों की इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाणों के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे समक्ष कार्यालय, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, जिला सागर के कार्यालयीन दिवसों में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्ति मान्य नहीं होगी तथा संस्थाओं की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां/डेडस्टाक/संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख या रिकार्ड एवं डेडस्टाक नहीं सौंपे गये हैं, तो सम्बन्धित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित की होगी.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती है, तो दावेदारों/साहूकारों / सदस्यों के दावे, आपत्तियों तथा लेनदारी एवं देनदारी का निराकरण गतवर्षों की अंकक्षित स्थिति विवरण पत्रकों के आधार पर परिसमापक के विवेक व सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त किया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 12 मार्च, 2024 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

(G-718)

आशा ठाकुर, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

सागर, दिनांक 12 मार्च 2024

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57(सी) के अन्तर्गत]

क्र.-2024-क्यू.-डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, जिला सागर के आदेशानुसार मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	आपूर्ति प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., बीना, विकासखण्ड-बीना.	922 / 13-9-2002	1601 / 6-7-2016
2.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., गिलटौरा, विकासखण्ड-बीना.	1197 / 15-4-2005	311 / 20-2-2017
3.	पार्वती महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., घंसरा, विकासखण्ड-बीना.	1035 / 28-3-2003	318 / 20-2-2017
4.	भाग्योदय बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पिठौरिया	473 / 4-3-2014	670 / 28-4-2023
5.	जय माँ वैष्णो बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., हासलखेड़ी.	1997 / 21-10-2019	671 / 28-4-2023
6.	शिवम ईट खपरा उद्योग सहकारी समिति मर्या., ढाना	774 / 12-3-2001	672 / 28-4-2023
7.	माँ शारदा महिला विकास सहकारी समिति मर्या., लक्ष्मीपुरा वार्ड सागर.	965 / 28-9-2002	673 / 28-4-2023
8.	कृषक कल्याण सहकारी समिति मर्या., खुरई	705 / 2-9-1997	674 / 28-4-2023
9.	गंगा बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., तिली वार्ड, सागर.	1248 / 31-10-2007	675 / 28-4-2023
10.	श्री गणेश महिला पापड़ बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., सागर.	470 / 1-1-1990	676 / 28-4-2023

(1)	(2)	(3)	(4)
11.	गोपाल महिला औद्योगिक सहकारी समिति मर्या., संजरा, विकासखण्ड रहली	1465 / 11-9-2013	677 / 28-4-2023
12.	सागर सिलाई उद्योग सहकारी समिति मर्या., सागर	90 / 28-3-1968	678 / 28-4-2023
13.	मछली पालन सहकारी समिति मर्या., हनौता	1228 / 27-10-2006	140 / 9-2-2024
14.	मत्स्य उद्योग सहकारी समिति मर्या., अमावनी	1410 / 1-2-2012	141 / 9-2-2024
15.	जय गंगे मछुआ सहकारी समिति मर्या., कनेरादेव	1467 / 28-9-2023	144 / 9-2-2024
16.	लक्ष्मी महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., हड़कलखाती.	836 / 4-6-2002	173 / 9-2-2024

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्टित हो गई हैं, अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों की इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाणों के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे समक्ष कार्यालय, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, जिला सागर के कार्यालयीन दिवसों में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्ति मान्य नहीं होगी तथा संस्थाओं की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां/डेडस्टाक/संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख या रिकार्ड एवं डेडस्टाक नहीं सौंपे गये हैं, तो सम्बन्धित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित की होगी.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं, तो दावेदारों/साहूकारों / सदस्यों के दावे, आपत्तियों तथा लेनदारी एवं देनदारी का निराकरण गतवर्षों की अंकक्षित स्थिति विवरण पत्रकों के आधार पर परिसमापक के विवेक व सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त किया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 12 मार्च, 2024 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

(G-719)

प्रभाकर कण्डया, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

कार्यालय, सहायक आयुक्त, सहकारिता, जिला कटनी, मध्यप्रदेश

कटनी, दिनांक 7 मार्च 2024

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अन्तर्गत]

क्र./साख-2024-408.-कार्यालयीन पत्र कमांक-साख-2024-297, कटनी, दिनांक 12-2-2024 के द्वारा बाबा नारायण शाह प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्यादित, कटनी, पंजीयन क्रमांक 942, जिला कटनी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960, जिसे आगे अधिनियम कहा गया है, की धारा 69 (2)(ए/क) के अधीन अपने रजिस्ट्रीकरण के युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य प्रारम्भ नहीं करने, संस्था की वर्ष 2022-23 की अंकक्षण टीप में वित्तीय पत्रक की पुनरावृत्ति पर संस्था द्वारा अपना कार्य व्यापार बंद कर दिये जाने या संस्था द्वारा साधारणतः सदस्यों के हित को प्रवर्तित करने के स्थान पर स्वयं के हित को प्रवर्तित करने के लिए कार्य करने या संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधि का अनुपालन बंद कर देने तथा अधिनियम की धारा 57-घ (2) में उल्लिखित अनुसार अधिनियम की धारा 48 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की बहिर्गामी समिति विद्यमान समिति की अवधि के अवसान होने के चार मास पूर्व उसकी समिति के निर्वाचन संचालन कराने के लिए प्राधिकारी को ऐसी रीति से लिखित में अनुरोध नहीं भेजे जाने पर अधिनियम की धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर दिनांक 22-2-2024 तक स्पष्टीकरण चाहा गया.

अधिनियम की धारा 32(1) एवं धारा 32(2) के अधीन संस्थाओं के कार्यालय का पता प्रदर्शित नहीं होने के कारण दिनांक 16-2-2024 को दैनिक समाचार पत्र, "पत्रिका" के पेज क्रमांक 12 के कटनी अंक में तथा "दैनिक भास्कर" समाचार पत्र के पेज क्रमांक 4, कटनी फ्रंट पेज के अंक में, कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रकाशन, जिला जनसंपर्क अधिकारी जिला कटनी को प्रेषित पत्र क्रमांक-साख-2024-308, कटनी, दिनांक 15-2-2024 के माध्यम से बतौर समाचार कराया गया।

संस्था के अध्यक्ष/प्रबंधक द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का स्पष्टीकरण नियत दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया। संस्था के अध्यक्ष/प्रबंधक को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु पुनः एक अवसर प्रदान करते हुए कार्यालयीन पत्र क्रमांक-साख-2024-316, कटनी, दिनांक 26-2-2024 के द्वारा स्मरण-पत्र जारी किया गया तथा दिनांक 6-3-2024 तक समाधानकारक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया लेकिन संस्था के अध्यक्ष/प्रबंधक द्वारा नियत अवधि तक कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा या तो अपने रजिस्ट्रीकरण के युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है, अथवा अपना कार्य व्यापार बंद कर दिया गया है या संस्था साधारणतः सदस्यों के हित को प्रवर्तित करने के स्थान पर स्वयं के हित को प्रवर्तित करने के लिए कार्य कर रही है या संस्था अधिनियम की धारा 57-घ(2) के अनुपालन में, अधिनियम की धारा 48 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अनुसार, बहिर्गामी समिति, विद्यमान समिति की अवधि के अवसान होने के चार मास पूर्व, समिति के निर्वाचन संचालन कराने के लिये प्राधिकारी को लिखित में अनुरोध भेजे जाने हेतु इच्छुक नहीं है तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधि का अनुपालन करने के लिये भी रजामंद नहीं है।

एतद् मैं, राजयश वर्धन कुरील, मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26-7-1999 में प्रदत्त शक्तियों जो मुझे, शासन द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए बाबा नारायण शाह प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, कटनी, पंजीयन क्रमांक 942, जिला कटनी को अधिनियम की धारा 69(2) के तहत, परिसमापन में लाए जाने का आदेश देता हूँ तथा अधिनियम की धारा 70 के अंतर्गत श्रीमती बेबी नैना मेहरा, सहकारी निरीक्षक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड कटनी को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करते हुए निर्देशित करता हूँ कि 06 माह के भीतर संस्था की सम्पूर्ण आस्तियों का निराकरण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, ताकि संस्था का पंजीयन समाप्त किया जा सके।

यह आदेश आज दिनांक 7 मार्च, 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-720)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अन्तर्गत]

क्र./साख-2024-409.-कार्यालयीन पत्र क्रमांक-साख-2024-297 कटनी, दिनांक 12-2-2024 के द्वारा बाबू जगमोहन दास प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, कटनी, पंजीयन क्रमांक 966, जिला कटनी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960, जिसे आगे अधिनियम कहा गया है, की धारा 69 (2)(ए/क) के अधीन अपने रजिस्ट्रीकरण के युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य प्रारम्भ नहीं करने, संस्था की वर्ष 2022-23 की अंकेक्षण टीप में वित्तीय पत्रक की पुनरावृत्ति पर संस्था द्वारा अपना कार्य व्यापार बंद कर दिये जाने या संस्था द्वारा साधारणतः सदस्यों के हित को प्रवर्तित करने के स्थान पर स्वयं के हित को प्रवर्तित करने के लिए कार्य करने या संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधि का अनुपालन बंद कर देने तथा अधिनियम की धारा 57-घ (2) में उल्लिखित अनुसार अधिनियम की धारा 48 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की बहिर्गामी समिति विद्यमान समिति की अवधि के अवसान होने के चार मास पूर्व उसकी समिति के निर्वाचन संचालन कराने के लिए प्राधिकारी को ऐसी रीति से लिखित में अनुरोध नहीं भेजे जाने पर अधिनियम की धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर दिनांक 22-2-2024 तक स्पष्टीकरण चाहा गया।

अधिनियम की धारा 32(1) एवं धारा 32(2) के अधीन संस्थाओं के कार्यालय का पता प्रदर्शित नहीं होने के कारण दिनांक 16-2-2024 को दैनिक समाचार पत्र, "पत्रिका" के पेज क्रमांक 12 के कटनी अंक में तथा "दैनिक भास्कर" समाचार पत्र के पेज क्रमांक 4, कटनी फ्रंट पेज के अंक में, कारण बताओ सूचना पत्र का प्रकाशन, जिला जनसंपर्क अधिकारी जिला कटनी को प्रेषित पत्र क्रमांक-साख-2024-308, कटनी, दिनांक 15-2-2024 के माध्यम से बतौर समाचार कराया गया।

संस्था के अध्यक्ष/प्रबंधक द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का स्पष्टीकरण नियत दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया। संस्था के अध्यक्ष/प्रबंधक को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु पुनः एक अवसर प्रदान करते हुए कार्यालयीन पत्र क्रमांक-साख-2024-319, कटनी, दिनांक 26-2-2024 के द्वारा स्मरण पत्र जारी किया गया तथा दिनांक 6-3-2024 तक समाधानकारक

स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया लेकिन संस्था के अध्यक्ष/प्रबंधक द्वारा नियत अवधि तक कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा या तो अपने रजिस्ट्रीकरण के युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है, अथवा अपना कार्य व्यापार बंद कर दिया गया है या संस्था साधारणतः सदस्यों के हित को प्रवर्तित करने के स्थान पर स्वयं के हित को प्रवर्तित करने के लिए कार्य कर रही है या संस्था अधिनियम की धारा 57-घ(2) के अनुपालन में, अधिनियम की धारा 48 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अनुसार, बहिर्गामी समिति, विद्यमान समिति की अवधि के अवसान होने के चार मास पूर्व, समिति के निर्वाचन संचालन कराने के लिये प्राधिकारी को लिखित में अनुरोध भेजे जाने हेतु इच्छुक नहीं है तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधि का अनुपालन करने के लिये भी रजामंद नहीं है।

एतद् मैं, राजयश वर्धन कुरील, मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26-7-1999 में प्रदत्त शक्तियों जो मुझे, शासन द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए बाबू जगमोहन दास प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, कटनी, पंजीयन क्रमांक 966, जिला कटनी को अधिनियम की धारा 69(2) के तहत, परिसमापन में लाए जाने का आदेश देता हूं तथा अधिनियम की धारा 70 के अंतर्गत श्रीमती बेबी नैना मेहरा, सहकारी निरीक्षक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड कटनी को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करते हुए निर्देशित करता हूं कि 06 माह के भीतर संस्था की सम्पूर्ण आस्तियों का निराकरण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, ताकि संस्था का पंजीयन समाप्त किया जा सके।

यह आदेश आज दिनांक 7 मार्च, 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-721)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अन्तर्गत]

क्र./साख-2024-410.-कार्यालयीन पत्र क्रमांक-साख-2024-297 कटनी, दिनांक 12-2-2024 के द्वारा नेहरु प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, कटनी, पंजीयन क्रमांक 940, जिला कटनी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960, जिसे आगे अधिनियम कहा गया है, की धारा 69 (2)(ए/क) के अधीन अपने रजिस्ट्रीकरण के युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य प्रारम्भ नहीं करने, संस्था की वर्ष 2022-23 की अंकेक्षण टीप में वित्तीय पत्रक की पुनरावृत्ति पर संस्था द्वारा अपना कार्य व्यापार बंद कर दिये जाने या संस्था द्वारा साधारणतः सदस्यों के हित को प्रवर्तित करने के स्थान पर स्वयं के हित को प्रवर्तित करने के लिए कार्य करने या संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधि का अनुपालन बंद कर देने तथा अधिनियम की धारा 57-घ (2) में उल्लिखित अनुसार अधिनियम की धारा 48 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की बहिर्गामी समिति विद्यमान समिति की अवधि के अवसान होने के चार मास पूर्व उसकी समिति के निर्वाचन संचालन कराने के लिए प्राधिकारी को ऐसी रीति से लिखित में अनुरोध नहीं भेजे जाने पर अधिनियम की धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर दिनांक 22-2-2024 तक स्पष्टीकरण चाहा गया।

अधिनियम की धारा 32(1) एवं धारा 32(2) के अधीन संस्थाओं के कार्यालय का पता प्रदर्शित नहीं होने के कारण दिनांक 16-2-2024 को दैनिक समाचार पत्र, "पत्रिका" के पेज क्रमांक 12 के कटनी अंक में तथा "दैनिक भास्कर" समाचार पत्र के पेज क्रमांक 4, कटनी फ्रंट पेज के अंक में, कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रकाशन, जिला जनसंपर्क अधिकारी जिला कटनी को प्रेषित पत्र क्रमांक-साख-2024-308, कटनी, दिनांक 15-2-2024 के माध्यम से बतौर समाचार कराया गया।

संस्था के अध्यक्ष/प्रबंधक द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का स्पष्टीकरण नियत दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया। संस्था के अध्यक्ष/प्रबंधक को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु पुनः एक अवसर प्रदान करते हुए कार्यालयीन पत्र क्रमांक-साख-2024-297, कटनी, दिनांक 26-2-2024 के द्वारा स्मरण पत्र जारी किया गया तथा दिनांक 6-3-2024 तक समाधानकारक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया लेकिन संस्था के अध्यक्ष/प्रबंधक द्वारा नियत अवधि तक कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा या तो अपने रजिस्ट्रीकरण के युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है, अथवा अपना कार्य व्यापार बंद कर दिया गया है या संस्था साधारणतः सदस्यों के हित को प्रवर्तित करने के स्थान पर स्वयं के हित को प्रवर्तित करने के लिए कार्य कर रही है या संस्था अधिनियम की धारा 57-घ(2) के अनुपालन

में, अधिनियम की धारा 48 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अनुसार, बहिर्गामी समिति, विद्यमान समिति की अवधि के अवसान होने के चार मास पूर्व, समिति के निर्वाचन संचालन कराने के लिये प्राधिकारी को लिखित में अनुरोध भेजे जाने हेतु इच्छुक नहीं है तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधि का अनुपालन करने के लिये भी रजामंद नहीं है।

एतद् मैं, राजयश वर्धन कुरील, मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26-7-1999 में प्रदत्त शक्तियों जो मुझे, शासन द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए नेहरु प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, कटनी, पंजीयन क्रमांक 940, जिला कटनी को अधिनियम की धारा 69(2) के तहत, परिसमापन में लाए जाने का आदेश देता हूँ तथा अधिनियम की धारा 70 के अंतर्गत श्रीमती बेबी नैना मेहरा, सहकारी निरीक्षक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड कटनी को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करते हुए निर्देशित करता हूँ कि 06 माह के भीतर संस्था की सम्पूर्ण आस्तियों का निराकरण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, ताकि संस्था का पंजीयन समाप्त किया जा सके।

यह आदेश आज दिनांक 7 मार्च, 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-722)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अन्तर्गत]

क्र./साख-2024-411.-कार्यालयीन पत्र क्रमांक-साख-2024-297 कटनी, दिनांक 12-2-2024 के द्वारा गुलेमानी रुमी प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, कटनी, पंजीयन क्रमांक 161, जिला कटनी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960, जिसे आगे अधिनियम कहा गया है, की धारा 69 (2)(ए/क) के अधीन अपने रजिस्ट्रीकरण के युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य प्रारम्भ नहीं करने, संस्था की वर्ष 2022-23 की अंकेक्षण टीप में वित्तीय पत्रक की पुनरावृत्ति पर संस्था द्वारा अपना कार्य व्यापार बंद कर दिये जाने या संस्था द्वारा साधारणतः सदस्यों के हित को प्रवर्तित करने के स्थान पर स्वयं के हित को प्रवर्तित करने के लिए कार्य करने या संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधि का अनुपालन बंद कर देने तथा अधिनियम की धारा 57-घ (2) में उल्लिखित अनुसार अधिनियम की धारा 48 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की बहिर्गामी समिति विद्यमान समिति की अवधि के अवसान होने के चार मास पूर्व उसकी समिति के निर्वाचन संचालन कराने के लिए प्राधिकारी को ऐसी रीति से लिखित में अनुरोध नहीं भेजे जाने पर अधिनियम की धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर दिनांक 22-2-2024 तक स्पष्टीकरण चाहा गया।

अधिनियम की धारा 32(1) एवं धारा 32(2) के अधीन संस्थाओं के कार्यालय का पता प्रदर्शित नहीं होने के कारण दिनांक 16-2-2024 को दैनिक समाचार पत्र, "पत्रिका" के पेज क्रमांक 12 के कटनी अंक में तथा "दैनिक भास्कर" समाचार पत्र के पेज क्रमांक 4, कटनी फ्रंट पेज के अंक में, कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रकाशन, जिला जनसंपर्क अधिकारी जिला कटनी को प्रेषित पत्र क्रमांक-साख-2024-308, कटनी, दिनांक 15-2-2024 के माध्यम से बतौर समाचार कराया गया।

संस्था के अध्यक्ष/प्रबंधक द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का स्पष्टीकरण नियत दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया। संस्था के अध्यक्ष/प्रबंधक को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु पुनः एक अवसर प्रदान करते हुए कार्यालयीन पत्र क्रमांक-साख-2024-326, कटनी, दिनांक 26-2-2024 के द्वारा स्मरण पत्र जारी किया गया तथा दिनांक 6-3-2024 तक समाधानकारक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया लेकिन संस्था के अध्यक्ष/प्रबंधक द्वारा नियत अवधि तक कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा या तो अपने रजिस्ट्रीकरण के युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है, अथवा अपना कार्य व्यापार बंद कर दिया गया है या संस्था साधारणतः सदस्यों के हित को प्रवर्तित करने के स्थान पर स्वयं के हित को प्रवर्तित करने के लिए कार्य कर रही है या संस्था अधिनियम की धारा 57-घ(2) के अनुपालन में, अधिनियम की धारा 48 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अनुसार, बहिर्गामी समिति, विद्यमान समिति की अवधि के अवसान होने के चार मास पूर्व, समिति के निर्वाचन संचालन कराने के लिये प्राधिकारी को लिखित में अनुरोध भेजे जाने हेतु इच्छुक नहीं है तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधि का अनुपालन करने के लिये भी रजामंद नहीं है।

एतद् मैं, राजयश वर्धन कुरील, मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26-7-1999 में प्रदत्त शक्तियों जो मुझे, शासन द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए गुलेमानी रुमी प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, कटनी, पंजीयन क्रमांक 161, जिला कटनी को अधिनियम की धारा 69(2) के तहत, परिसमापन में लाए जाने का आदेश

देता हूँ तथा अधिनियम की धारा 70 के अंतर्गत श्रीमती बेबी नैना मेहरा, सहकारी निरीक्षक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड कटनी को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करते हुए निर्देशित करता हूँ कि 06 माह के भीतर संस्था की सम्पूर्ण आस्तियों का निराकरण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, ताकि संस्था का पंजीयन समाप्त किया जा सके.

यह आदेश आज दिनांक 7 मार्च, 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-723)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अन्तर्गत]

क्र./साख-2024-413.-कार्यालयीन पत्र क्रमांक-साख-2024-297 कटनी, दिनांक 12-2-2024 के द्वारा सत्य साईं प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्यादित, कटनी, पंजीयन क्रमांक 169, जिला कटनी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960, जिसे आगे अधिनियम कहा गया है, की धारा 69 (2)(ए/क) के अधीन अपने रजिस्ट्रीकरण के युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य प्रारम्भ नहीं करने, संस्था की वर्ष 2022-23 की अंकेक्षण टीप में वित्तीय पत्रक की पुनरावृत्ति पर संस्था द्वारा अपना कार्य व्यापार बंद कर दिये जाने या संस्था द्वारा साधारणतः सदस्यों के हित को प्रवर्तित करने के स्थान पर स्वयं के हित को प्रवर्तित करने के लिए कार्य करने या संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधि का अनुपालन बंद कर देने तथा अधिनियम की धारा 57-घ (2) में उल्लिखित अनुसार अधिनियम की धारा 48 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की बहिर्गामी समिति विद्यमान समिति की अवधि के अवसान होने के चार मास पूर्व उसकी समिति के निर्वाचन संचालन कराने के लिए प्राधिकारी को ऐसी रीति से लिखित में अनुरोध नहीं भेजे जाने पर अधिनियम की धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर दिनांक 22-2-2024 तक स्पष्टीकरण चाहा गया.

अधिनियम की धारा 32(1) एवं धारा 32(2) के अधीन संस्थाओं के कार्यालय का पता प्रदर्शित नहीं होने के कारण दिनांक 16-2-2024 को दैनिक समाचार पत्र, "पत्रिका" के पेज क्रमांक 12 के कटनी अंक में तथा "दैनिक भास्कर" समाचार पत्र के पेज क्रमांक 4, कटनी फ्रंट पेज के अंक में, कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रकाशन, जिला जनसंपर्क अधिकारी जिला कटनी को प्रेषित पत्र क्रमांक-साख-2024-308, कटनी, दिनांक 15-2-2024 के माध्यम से बतौर समाचार कराया गया.

संस्था के अध्यक्ष/प्रबंधक द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का स्पष्टीकरण नियत दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया. संस्था के अध्यक्ष/प्रबंधक को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु पुनः एक अवसर प्रदान करते हुए कार्यालयीन पत्र क्रमांक-साख-2024-327, कटनी, दिनांक 26-2-2024 के द्वारा स्मरण-पत्र जारी किया गया तथा दिनांक 6-3-2024 तक समाधानकारक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया लेकिन संस्था के अध्यक्ष/प्रबंधक द्वारा नियत अवधि तक कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा या तो अपने रजिस्ट्रीकरण के युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है, अथवा अपना कार्य व्यापार बंद कर दिया गया है या संस्था साधारणतः सदस्यों के हित को प्रवर्तित करने के स्थान पर स्वयं के हित को प्रवर्तित करने के लिए कार्य कर रही है या संस्था अधिनियम की धारा 57-घ(2) के अनुपालन में, अधिनियम की धारा 48 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अनुसार, बहिर्गामी समिति, विद्यमान समिति की अवधि के अवसान होने के चार मास पूर्व, समिति के निर्वाचन संचालन कराने के लिये प्राधिकारी को लिखित में अनुरोध भेजे जाने हेतु इच्छुक नहीं है तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधि का अनुपालन करने के लिये भी रजामंद नहीं है.

एतद् मैं, राजयश वर्धन कुरील, मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26-7-1999 में प्रदत्त शक्तियों जो मुझे, शासन द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए सत्य साईं प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्यादित, कटनी, पंजीयन क्रमांक 169, जिला कटनी को अधिनियम की धारा 69(2) के तहत, परिसमापन में लाए जाने का आदेश देता हूँ तथा अधिनियम की धारा 70 के अंतर्गत श्रीमती बेबी नैना मेहरा, सहकारी निरीक्षक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड कटनी को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करते हुए निर्देशित करता हूँ कि 06 माह के भीतर संस्था की सम्पूर्ण आस्तियों का निराकरण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, ताकि संस्था का पंजीयन समाप्त किया जा सके.

यह आदेश आज दिनांक 7 मार्च, 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-724)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अन्तर्गत]

क्र./साख-2024-414.-कार्यालयीन पत्र क्रमांक-साख-2024-297 कटनी, दिनांक 12-2-2024 के द्वारा सी. एल. पी. पाठक प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्यादित, कटनी, पंजीयन क्रमांक 81, जिला कटनी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960, जिसे आगे अधिनियम कहा गया है, की धारा 69 (2)(ए/क) के अधीन अपने रजिस्ट्रीकरण के युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य प्रारम्भ नहीं करने, संस्था की वर्ष 2022-23 की अंकेक्षण टीप में वित्तीय पत्रक की पुनरावृत्ति पर संस्था द्वारा अपना कार्य व्यापार बंद कर दिये जाने या संस्था द्वारा साधारणतः सदस्यों के हित को प्रवर्तित करने के स्थान पर स्वयं के हित को प्रवर्तित करने के लिए कार्य करने या संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधि का अनुपालन बंद कर देने तथा अधिनियम की धारा 57-घ (2) में उल्लिखित अनुसार अधिनियम की धारा 48 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की बहिर्गामी समिति विद्यमान समिति की अवधि के अवसान होने के चार मास पूर्व उसकी समिति के निर्वाचन संचालन कराने के लिए प्राधिकारी को ऐसी रीति से लिखित में अनुरोध नहीं भेजे जाने पर अधिनियम की धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर दिनांक 22-2-2024 तक स्पष्टीकरण चाहा गया।

अधिनियम की धारा 32(1) एवं धारा 32(2) के अधीन संस्थाओं के कार्यालय का पता प्रदर्शित नहीं होने के कारण दिनांक 16-2-2024 को दैनिक समाचार पत्र, "पत्रिका" के पेज क्रमांक 12 के कटनी अंक में तथा "दैनिक भास्कर" समाचार पत्र के पेज क्रमांक 4, कटनी फ्रंट पेज के अंक में, कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रकाशन, जिला जनसंपर्क अधिकारी जिला कटनी को प्रेषित पत्र क्रमांक-साख-2024-308, कटनी, दिनांक 15-2-2024 के माध्यम से बतौर समाचार कराया गया।

संस्था के अध्यक्ष/प्रबंधक द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का स्पष्टीकरण नियत दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया। संस्था के अध्यक्ष/प्रबंधक को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु पुनः एक अवसर प्रदान करते हुए कार्यालयीन पत्र क्रमांक-साख-2024-336, कटनी, दिनांक 26-2-2024 के द्वारा स्मरण पत्र जारी किया गया तथा दिनांक 6-3-2024 तक समाधानकारक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया लेकिन संस्था के अध्यक्ष/प्रबंधक द्वारा नियत अवधि तक कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा या तो अपने रजिस्ट्रीकरण के युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है, अथवा अपना कार्य व्यापार बंद कर दिया गया है या संस्था साधारणतः सदस्यों के हित को प्रवर्तित करने के स्थान पर स्वयं के हित को प्रवर्तित करने के लिए कार्य कर रही है या संस्था अधिनियम की धारा 57-घ(2) के अनुपालन में, अधिनियम की धारा 48 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अनुसार, बहिर्गामी समिति, विद्यमान समिति की अवधि के अवसान होने के चार मास पूर्व, समिति के निर्वाचन संचालन कराने के लिये प्राधिकारी को लिखित में अनुरोध भेजे जाने हेतु इच्छुक नहीं है तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधि का अनुपालन करने के लिये भी रजामंद नहीं है।

एतद् मैं, राजयश वर्धन कुरील, मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26-7-1999 में प्रदत्त शक्तियों जो मुझे, शासन द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए सी. एल. पी. पाठक प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्यादित, कटनी, पंजीयन क्रमांक 81, जिला कटनी को अधिनियम की धारा 69(2) के तहत, परिसमापन में लाए जाने का आदेश देता हूँ तथा अधिनियम की धारा 70 के अंतर्गत श्रीमती बेबी नैना मेहरा, सहकारी निरीक्षक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड कटनी को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करते हुए निर्देशित करता हूँ कि 06 माह के भीतर संस्था की सम्पूर्ण आस्तियों का निराकरण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, ताकि संस्था का पंजीयन समाप्त किया जा सके।

यह आदेश आज दिनांक 7 मार्च, 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-725)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अन्तर्गत]

क्र./साख-2024-416.-कार्यालयीन पत्र क्रमांक-साख-2024-297 कटनी, दिनांक 12-2-2024 के द्वारा इंदिरा गांधी महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्यादित, कटनी, पंजीयन क्रमांक 87, जिला कटनी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960, जिसे आगे अधिनियम कहा गया है, की धारा 69 (2)(ए/क) के अधीन अपने रजिस्ट्रीकरण के युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य प्रारम्भ नहीं करने, संस्था की वर्ष 2022-23 की अंकेक्षण टीप में वित्तीय पत्रक की पुनरावृत्ति

पर संस्था द्वारा अपना कार्य व्यापार बंद कर दिये जाने या संस्था द्वारा साधारणतः सदस्यों के हित को प्रवर्तित करने के स्थान पर स्वयं के हित को प्रवर्तित करने के लिए कार्य करने या संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधि का अनुपालन बंद कर देने तथा अधिनियम की धारा 57-घ (2) में उल्लिखित अनुसार अधिनियम की धारा 48 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की बहिर्गामी समिति विद्यमान समिति की अवधि के अवसान होने के चार मास पूर्व उसकी समिति के निर्वाचन संचालन कराने के लिए प्राधिकारी को ऐसी रीति से लिखित में अनुरोध नहीं भेजे जाने पर अधिनियम की धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर दिनांक 22-2-2024 तक स्पष्टीकरण चाहा गया।

अधिनियम की धारा 32(1) एवं धारा 32(2) के अधीन संस्थाओं के कार्यालय का पता प्रदर्शित नहीं होने के कारण दिनांक 16-2-2024 को दैनिक समाचार पत्र, "पत्रिका" के पेज क्रमांक 12 के कटनी अंक में तथा "दैनिक भास्कर" समाचार पत्र के पेज क्रमांक 4, कटनी फ्रंट पेज के अंक में, कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रकाशन, जिला जनसंपर्क अधिकारी जिला कटनी को प्रेषित पत्र क्रमांक-साख-2024-308, कटनी, दिनांक 15-2-2024 के माध्यम से बतौर समाचार कराया गया।

संस्था के अध्यक्ष/प्रबंधक द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का स्पष्टीकरण नियत दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया। संस्था के अध्यक्ष/प्रबंधक को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु पुनः एक अवसर प्रदान करते हुए कार्यालयीन पत्र क्रमांक-साख-2024-339, कटनी, दिनांक 26-2-2024 के द्वारा स्मरण पत्र जारी किया गया तथा दिनांक 6-3-2024 तक समाधानकारक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया लेकिन संस्था के अध्यक्ष/प्रबंधक द्वारा नियत अवधि तक कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा या तो अपने रजिस्ट्रीकरण के युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है, अथवा अपना कार्य व्यापार बंद कर दिया गया है या संस्था साधारणतः सदस्यों के हित को प्रवर्तित करने के स्थान पर स्वयं के हित को प्रवर्तित करने के लिए कार्य कर रही है या संस्था अधिनियम की धारा 57-घ(2) के अनुपालन में, अधिनियम की धारा 48 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अनुसार, बहिर्गामी समिति, विद्यमान समिति की अवधि के अवसान होने के चार मास पूर्व, समिति के निर्वाचन संचालन कराने के लिये प्राधिकारी को लिखित में अनुरोध भेजे जाने हेतु इच्छुक नहीं है तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधि का अनुपालन करने के लिये भी रजामंद नहीं है।

एतद् मैं, राजयश वर्धन कुरील, मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26-7-1999 में प्रदत्त शक्तियों जो मुझे, शासन द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए इंदिरा गांधी महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्यादित, कटनी, पंजीयन क्रमांक 87, जिला कटनी को अधिनियम की धारा 69(2) के तहत, परिसमापन में लाए जाने का आदेश देता हूं तथा अधिनियम की धारा 70 के अंतर्गत श्रीमती बेबी नैना मेहरा, सहकारी निरीक्षक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड कटनी को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करते हुए निर्देशित करता हूं कि 06 माह के भीतर संस्था की सम्पूर्ण आस्तियों का निराकरण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, ताकि संस्था का पंजीयन समाप्त किया जा सके।

यह आदेश आज दिनांक 7 मार्च, 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-726)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अन्तर्गत]

क्र./साख-2024-418.-कार्यालयीन पत्र क्रमांक-साख-2024-297 कटनी, दिनांक 12-2-2024 के द्वारा सरदार भगत सिंह प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्यादित, कटनी, पंजीयन क्रमांक 89, जिला कटनी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960, जिसे आगे अधिनियम कहा गया है, की धारा 69 (2)(ए/क) के अधीन अपने रजिस्ट्रीकरण के युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य प्रारम्भ नहीं करने, संस्था की वर्ष 2022-23 की अंकेक्षण टीप में वित्तीय पत्रक की पुनरावृत्ति पर संस्था द्वारा अपना कार्य व्यापार बंद कर दिये जाने या संस्था द्वारा साधारणतः सदस्यों के हित को प्रवर्तित करने के स्थान पर स्वयं के हित को प्रवर्तित करने के लिए कार्य करने या संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधि का अनुपालन बंद कर देने तथा अधिनियम की धारा 57-घ (2) में उल्लिखित अनुसार अधिनियम की धारा 48 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की बहिर्गामी समिति विद्यमान समिति की अवधि के अवसान होने के चार मास पूर्व उसकी समिति के निर्वाचन संचालन कराने के लिए प्राधिकारी को ऐसी रीति से लिखित में अनुरोध नहीं भेजे जाने पर अधिनियम की धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर दिनांक 22-2-2024 तक स्पष्टीकरण चाहा गया।

अधिनियम की धारा 32(1) एवं धारा 32(2) के अधीन संस्थाओं के कार्यालय का पता प्रदर्शित नहीं होने के कारण दिनांक 16-2-2024 को दैनिक समाचार पत्र, "पत्रिका" के पेज क्रमांक 12 के कटनी अंक में तथा "दैनिक भास्कर" समाचार पत्र के पेज क्रमांक 4, कटनी फ्रंट पेज के अंक में, कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रकाशन, जिला जनसंपर्क अधिकारी जिला कटनी को प्रेषित पत्र क्रमांक-साख-2024-308, कटनी, दिनांक 15-2-2024 के माध्यम से बतौर समाचार कराया गया।

संस्था के अध्यक्ष/प्रबंधक द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का स्पष्टीकरण नियत दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया। संस्था के अध्यक्ष/प्रबंधक को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु पुनः एक अवसर प्रदान करते हुए कार्यालयीन पत्र क्रमांक-साख-2024-340, कटनी, दिनांक 26-2-2024 के द्वारा स्मरण पत्र जारी किया गया तथा दिनांक 6-3-2024 तक समाधानकारक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया लेकिन संस्था के अध्यक्ष/प्रबंधक द्वारा नियत अवधि तक कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा या तो अपने रजिस्ट्रीकरण के युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है, अथवा अपना कार्य व्यापार बंद कर दिया गया है या संस्था साधारणतः सदस्यों के हित को प्रवर्तित करने के स्थान पर स्वयं के हित को प्रवर्तित करने के लिए कार्य कर रही है या संस्था अधिनियम की धारा 57-घ(2) के अनुपालन में, अधिनियम की धारा 48 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अनुसार, बहिर्गामी समिति, विद्यमान समिति की अवधि के अवसान होने के चार मास पूर्व, समिति के निर्वाचन संचालन कराने के लिये प्राधिकारी को लिखित में अनुरोध भेजे जाने हेतु इच्छुक नहीं है तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधि का अनुपालन करने के लिये भी रजामंद नहीं है।

एतद् मैं, राजयश वर्धन कुरील, मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26-7-1999 में प्रदत्त शक्तियां जो मुझे, शासन द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए सरदार भगत सिंह प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्यादित, कटनी, पंजीयन क्रमांक 89, जिला कटनी को अधिनियम की धारा 69(2) के तहत, परिसमापन में लाए जाने का आदेश देता हूं तथा अधिनियम की धारा 70 के अंतर्गत श्रीमती बेबी नैना मेहरा, सहकारी निरीक्षक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड कटनी को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करते हुए निर्देशित करता हूं कि 06 माह के भीतर संस्था की सम्पूर्ण आस्तियों का निराकरण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, ताकि संस्था का पंजीयन समाप्त किया जा सके।

यह आदेश आज दिनांक 7 मार्च, 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-727)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अन्तर्गत]

क्र./साख-2024-417.-कार्यालयीन पत्र क्रमांक-साख-2024-297 कटनी, दिनांक 12-2-2024 के द्वारा मां शारदा प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्यादित, कटनी, पंजीयन क्रमांक 70, जिला कटनी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960, जिसे आगे अधिनियम कहा गया है, की धारा 69 (2)(ए/क) के अधीन अपने रजिस्ट्रीकरण के युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य प्रारम्भ नहीं करने, संस्था की वर्ष 2022-23 की अंकेक्षण टीप में वित्तीय पत्रक की पुनरावृत्ति पर संस्था द्वारा अपना कार्य व्यापार बंद कर दिये जाने या संस्था द्वारा साधारणतः सदस्यों के हित को प्रवर्तित करने के स्थान पर स्वयं के हित को प्रवर्तित करने के लिए कार्य करने या संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधि का अनुपालन बंद कर देने तथा अधिनियम की धारा 57-घ (2) में उल्लिखित अनुसार अधिनियम की धारा 48 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की बहिर्गामी समिति विद्यमान समिति की अवधि के अवसान होने के चार मास पूर्व उसकी समिति के निर्वाचन संचालन कराने के लिए प्राधिकारी को ऐसी रीति से लिखित में अनुरोध नहीं भेजे जाने पर अधिनियम की धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर दिनांक 22-2-2024 तक स्पष्टीकरण चाहा गया।

अधिनियम की धारा 32(1) एवं धारा 32(2) के अधीन संस्थाओं के कार्यालय का पता प्रदर्शित नहीं होने के कारण दिनांक 16-2-2024 को दैनिक समाचार पत्र, "पत्रिका" के पेज क्रमांक 12 के कटनी अंक में तथा "दैनिक भास्कर" समाचार पत्र के पेज क्रमांक 4, कटनी फ्रंट पेज के अंक में, कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रकाशन, जिला जनसंपर्क अधिकारी जिला कटनी को प्रेषित पत्र क्रमांक-साख-2024-308, कटनी, दिनांक 15-2-2024 के माध्यम से बतौर समाचार कराया गया।

संस्था के अध्यक्ष/प्रबंधक द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का स्पष्टीकरण नियत दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया। संस्था के अध्यक्ष/प्रबंधक को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु पुनः एक अवसर प्रदान करते हुए कार्यालयीन पत्र क्रमांक-साख-2024-343, कटनी, दिनांक 26-2-2024 के द्वारा स्मरण पत्र जारी किया गया तथा दिनांक 6-3-2024 तक समाधानकारक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया लेकिन संस्था के अध्यक्ष/प्रबंधक द्वारा नियत अवधि तक कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा या तो अपने रजिस्ट्रीकरण के युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है, अथवा अपना कार्य व्यापार बंद कर दिया गया है या संस्था साधारणतः सदस्यों के हित को प्रवर्तित करने के स्थान पर स्वयं के हित को प्रवर्तित करने के लिए कार्य कर रही है या संस्था अधिनियम की धारा 57-घ(2) के अनुपालन में, अधिनियम की धारा 48 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अनुसार, बहिर्गामी समिति, विद्यमान समिति की अवधि के अवसान होने के चार मास पूर्व, समिति के निर्वाचन संचालन कराने के लिये प्राधिकारी को लिखित में अनुरोध भेजे जाने हेतु इच्छुक नहीं है तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधि का अनुपालन करने के लिये भी रजामंद नहीं है।

एतद् मैं, राजयश वर्धन कुरील, मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26-7-1999 में प्रदत्त शक्तियों जो मुझे, शासन द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए मां शारदा प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्यादित, कटनी, पंजीयन क्रमांक 70, जिला कटनी को अधिनियम की धारा 69(2) के तहत, परिसमापन में लाए जाने का आदेश देता हूँ तथा अधिनियम की धारा 70 के अंतर्गत श्रीमती बेबी नैना मेहरा, सहकारी निरीक्षक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड कटनी को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करते हुए निर्देशित करता हूँ कि 06 माह के भीतर संस्था की सम्पूर्ण आस्तियों का निराकरण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, ताकि संस्था का पंजीयन समाप्त किया जा सके।

यह आदेश आज दिनांक 7 मार्च, 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-728)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अन्तर्गत]

क्र./साख-2024-419.-कार्यालयीन पत्र क्रमांक-साख-2024-297 कटनी, दिनांक 12-2-2024 के द्वारा हाउसिंग बोर्ड प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्यादित, कटनी, पंजीयन क्रमांक 47, जिला कटनी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960, जिसे आगे अधिनियम कहा गया है, की धारा 69 (2)(ए/क) के अधीन अपने रजिस्ट्रीकरण के युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य प्रारम्भ नहीं करने, संस्था की वर्ष 2022-23 की अंकेक्षण टीप में वित्तीय पत्रक की पुनरावृत्ति पर संस्था द्वारा अपना कार्य व्यापार बंद कर दिये जाने या संस्था द्वारा साधारणतः सदस्यों के हित को प्रवर्तित करने के स्थान पर स्वयं के हित को प्रवर्तित करने के लिए कार्य करने या संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधि का अनुपालन बंद कर देने तथा अधिनियम की धारा 57-घ (2) में उल्लिखित अनुसार अधिनियम की धारा 48 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की बहिर्गामी समिति विद्यमान समिति की अवधि के अवसान होने के चार मास पूर्व उसकी समिति के निर्वाचन संचालन कराने के लिए प्राधिकारी को ऐसी रीति से लिखित में अनुरोध नहीं भेजे जाने पर अधिनियम की धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर दिनांक 22-2-2024 तक स्पष्टीकरण चाहा गया।

अधिनियम की धारा 32(1) एवं धारा 32(2) के अधीन संस्थाओं के कार्यालय का पता प्रदर्शित नहीं होने के कारण दिनांक 16-2-2024 को दैनिक समाचार पत्र, "पत्रिका" के पेज क्रमांक 12 के कटनी अंक में तथा "दैनिक भास्कर" समाचार पत्र के पेज क्रमांक 4, कटनी फ्रंट पेज के अंक में, कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रकाशन, जिला जनसंपर्क अधिकारी जिला कटनी को प्रेषित पत्र क्रमांक-साख-2024-308, कटनी, दिनांक 15-2-2024 के माध्यम से बतौर समाचार कराया गया।

संस्था के अध्यक्ष/प्रबंधक द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का स्पष्टीकरण नियत दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया। संस्था के अध्यक्ष/प्रबंधक को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु पुनः एक अवसर प्रदान करते हुए कार्यालयीन पत्र क्रमांक-साख-2024-351, कटनी, दिनांक 26-2-2024 के द्वारा स्मरण पत्र जारी किया गया तथा दिनांक 6-3-2024 तक समाधानकारक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया लेकिन संस्था के अध्यक्ष/प्रबंधक द्वारा नियत अवधि तक कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा या तो अपने रजिस्ट्रीकरण के युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है, अथवा अपना कार्य व्यापार बंद कर दिया गया है या संस्था साधारणतः सदस्यों के हित को प्रवर्तित करने के स्थान पर स्वयं के हित को प्रवर्तित करने के लिए कार्य कर रही है या संस्था अधिनियम की धारा 57-घ(2) के अनुपालन

में, अधिनियम की धारा 48 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अनुसार, बहिर्गामी समिति, विद्यमान समिति की अवधि के अवसान होने के चार मास पूर्व, समिति के निर्वाचन संचालन कराने के लिये प्राधिकारी को लिखित में अनुरोध भेजे जाने हेतु इच्छुक नहीं है तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधि का अनुपालन करने के लिये भी रजामंद नहीं है।

एतद् मैं, राजयश वर्धन कुरील, मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26-7-1999 में प्रदत्त शक्तियों जो मुझे, शासन द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए हाउसिंग बोर्ड प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्यादित, कटनी, पंजीयन क्रमांक 47, जिला कटनी को अधिनियम की धारा 69(2) के तहत, परिसमापन में लाए जाने का आदेश देता हूं तथा अधिनियम की धारा 70 के अंतर्गत श्रीमती बेबी नैना मेहरा, सहकारी निरीक्षक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड कटनी को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करते हुए निर्देशित करता हूं कि 06 माह के भीतर संस्था की सम्पूर्ण आस्तियों का निराकरण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, ताकि संस्था का पंजीयन समाप्त किया जा सके।

यह आदेश आज दिनांक 7 मार्च, 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-729)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अन्तर्गत]

क्र./साख-2024-422.-कार्यालयीन पत्र क्रमांक-साख-2024-297 कटनी, दिनांक 12-2-2024 के द्वारा रामकृष्ण परमहंस प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्यादित, कटनी, पंजीयन क्रमांक 1694, जिला कटनी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960, जिसे आगे अधिनियम कहा गया है, की धारा 69 (2)(ए/क) के अधीन अपने रजिस्ट्रीकरण के युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य प्रारम्भ नहीं करने, संस्था की वर्ष 2022-23 की अंकेक्षण टीप में वित्तीय पत्रक की पुनरावृत्ति पर संस्था द्वारा अपना कार्य व्यापार बंद कर दिये जाने या संस्था द्वारा साधारणतः सदस्यों के हित को प्रवर्तित करने के स्थान पर स्वयं के हित को प्रवर्तित करने के लिए कार्य करने या संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधि का अनुपालन बंद कर देने तथा अधिनियम की धारा 57-घ (2) में उल्लिखित अनुसार अधिनियम की धारा 48 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की बहिर्गामी समिति विद्यमान समिति की अवधि के अवसान होने के चार मास पूर्व उसकी समिति के निर्वाचन संचालन कराने के लिए प्राधिकारी को ऐसी रीति से लिखित में अनुरोध नहीं भेजे जाने पर अधिनियम की धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर दिनांक 22-2-2024 तक स्पष्टीकरण चाहा गया।

अधिनियम की धारा 32(1) एवं धारा 32(2) के अधीन संस्थाओं के कार्यालय का पता प्रदर्शित नहीं होने के कारण दिनांक 16-2-2024 को दैनिक समाचार पत्र, "पत्रिका" के पेज क्रमांक 12 के कटनी अंक में तथा "दैनिक भास्कर" समाचार पत्र के पेज क्रमांक 4, कटनी फ्रंट पेज के अंक में, कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रकाशन, जिला जनसंपर्क अधिकारी जिला कटनी को प्रेषित पत्र क्रमांक-साख-2024-308, कटनी, दिनांक 15-2-2024 के माध्यम से बतौर समाचार कराया गया।

संस्था के अध्यक्ष/प्रबंधक द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का स्पष्टीकरण नियत दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया। संस्था के अध्यक्ष/प्रबंधक को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु पुनः एक अवसर प्रदान करते हुए कार्यालयीन पत्र क्रमांक-साख-2024-354, कटनी, दिनांक 26-2-2024 के द्वारा स्मरण पत्र जारी किया गया तथा दिनांक 6-3-2024 तक समाधानकारक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया लेकिन संस्था के अध्यक्ष/प्रबंधक द्वारा नियत अवधि तक कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा या तो अपने रजिस्ट्रीकरण के युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है, अथवा अपना कार्य व्यापार बंद कर दिया गया है या संस्था साधारणतः सदस्यों के हित को प्रवर्तित करने के स्थान पर स्वयं के हित को प्रवर्तित करने के लिए कार्य कर रही है या संस्था अधिनियम की धारा 57-घ(2) के अनुपालन में, अधिनियम की धारा 48 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अनुसार, बहिर्गामी समिति, विद्यमान समिति की अवधि के अवसान होने के चार मास पूर्व, समिति के निर्वाचन संचालन कराने के लिये प्राधिकारी को लिखित में अनुरोध भेजे जाने हेतु इच्छुक नहीं है तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधि का अनुपालन करने के लिये भी रजामंद नहीं है।

एतद् मैं, राजयश वर्धन कुरील, मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26-7-1999 में प्रदत्त शक्तियों जो मुझे, शासन द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए रामकृष्ण परमहंस प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्यादित, कटनी, पंजीयन क्रमांक 1694, जिला कटनी को अधिनियम की धारा 69(2) के तहत, परिसमापन में लाए जाने का आदेश देता हूं तथा अधिनियम की धारा 70 के अंतर्गत श्रीमती बेबी नैना मेहरा, सहकारी निरीक्षक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड कटनी को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करते हुए निर्देशित करता हूं कि 06 माह के भीतर संस्था की सम्पूर्ण आस्तियों का निराकरण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, ताकि संस्था का पंजीयन समाप्त किया जा सके.

यह आदेश आज दिनांक 7 मार्च, 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-730)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अन्तर्गत]

क्र./साख-2024-423-कार्यालयीन पत्र क्रमांक-साख-2024-297 कटनी, दिनांक 12-2-2024 के द्वारा भट्टा मोहल्ला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्यादित, कटनी, पंजीयन क्रमांक 1178, जिला कटनी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960, जिसे आगे अधिनियम कहा गया है, की धारा 69 (2)(ए/क) के अधीन अपने रजिस्ट्रीकरण के युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य प्रारम्भ नहीं करने, संस्था की वर्ष 2022-23 की अंकेक्षण टीप में वित्तीय पत्रक की पुनरावृत्ति पर संस्था द्वारा अपना कार्य व्यापार बंद कर दिये जाने या संस्था द्वारा साधारणतः सदस्यों के हित को प्रवर्तित करने के स्थान पर स्वयं के हित को प्रवर्तित करने के लिए कार्य करने या संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधि का अनुपालन बंद कर देने तथा अधिनियम की धारा 57-घ (2) में उल्लिखित अनुसार अधिनियम की धारा 48 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की बहिर्गामी समिति विद्यमान समिति की अवधि के अवसान होने के चार मास पूर्व उसकी समिति के निर्वाचन संचालन कराने के लिए प्राधिकारी को ऐसी रीति से लिखित में अनुरोध नहीं भेजे जाने पर अधिनियम की धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर दिनांक 22-2-2024 तक स्पष्टीकरण चाहा गया.

अधिनियम की धारा 32(1) एवं धारा 32(2) के अधीन संस्थाओं के कार्यालय का पता प्रदर्शित नहीं होने के कारण दिनांक 16-2-2024 को दैनिक समाचार पत्र, "पत्रिका" के पेज क्रमांक 12 के कटनी अंक में तथा "दैनिक भास्कर" समाचार पत्र के पेज क्रमांक 4, कटनी फ्रंट पेज के अंक में, कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रकाशन, जिला जनसंपर्क अधिकारी जिला कटनी को प्रेषित पत्र क्रमांक-साख-2024-308, कटनी, दिनांक 15-2-2024 के माध्यम से बतौर समाचार कराया गया.

संस्था के अध्यक्ष/प्रबंधक द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का स्पष्टीकरण नियत दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया. संस्था के अध्यक्ष/प्रबंधक को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु पुनः एक अवसर प्रदान करते हुए कार्यालयीन पत्र क्रमांक-साख-2024-359, कटनी, दिनांक 26-2-2024 के द्वारा स्मरण पत्र जारी किया गया तथा दिनांक 6-3-2024 तक समाधानकारक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया लेकिन संस्था के अध्यक्ष/प्रबंधक द्वारा नियत अवधि तक कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा या तो अपने रजिस्ट्रीकरण के युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है, अथवा अपना कार्य व्यापार बंद कर दिया गया है या संस्था साधारणतः सदस्यों के हित को प्रवर्तित करने के स्थान पर स्वयं के हित को प्रवर्तित करने के लिए कार्य कर रही है या संस्था अधिनियम की धारा 57-घ(2) के अनुपालन में, अधिनियम की धारा 48 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अनुसार, बहिर्गामी समिति, विद्यमान समिति की अवधि के अवसान होने के चार मास पूर्व, समिति के निर्वाचन संचालन कराने के लिये प्राधिकारी को लिखित में अनुरोध भेजे जाने हेतु इच्छुक नहीं है तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधि का अनुपालन करने के लिये भी रजामंद नहीं है.

एतद् मैं, राजयश वर्धन कुरील, मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26-7-1999 में प्रदत्त शक्तियों जो मुझे, शासन द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए भट्टा मोहल्ला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्यादित, कटनी, पंजीयन क्रमांक 1178, जिला कटनी को अधिनियम की धारा 69(2) के तहत, परिसमापन में लाए जाने का आदेश

देता हूँ तथा अधिनियम की धारा 70 के अंतर्गत श्रीमती बेबी नैना मेहरा, सहकारी निरीक्षक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड कटनी को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करते हुए निर्देशित करता हूँ कि 06 माह के भीतर संस्था की सम्पूर्ण आस्तियों का निराकरण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, ताकि संस्था का पंजीयन समाप्त किया जा सके।

यह आदेश आज दिनांक 7 मार्च, 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-731)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अन्तर्गत]

क्र./साख-2024.-कार्यालयीन पत्र क्रमांक-साख-2024-297 कटनी, दिनांक 12-2-2024 के द्वारा माँ जगदम्बा प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्यादित, कटनी पंजीयन क्रमांक 1031, जिला कटनी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960, जिसे आगे अधिनियम कहा गया है, की धारा 69 (2)(ए/क) के अधीन अपने रजिस्ट्रीकरण के युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य प्रारम्भ नहीं करने, संस्था की वर्ष 2022-23 की अंकेक्षण टीप में वित्तीय पत्रक की पुनरावृत्ति पर संस्था द्वारा अपना कार्य व्यापार बंद कर दिये जाने या संस्था द्वारा साधारणतः सदस्यों के हित को प्रवर्तित करने के स्थान पर स्वयं के हित को प्रवर्तित करने के लिए कार्य करने या संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधि का अनुपालन बंद कर देने तथा अधिनियम की धारा 57-घ (2) में उल्लिखित अनुसार अधिनियम की धारा 48 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की बहिर्गामी समिति विद्यमान समिति की अवधि के अवसान होने के चार मास पूर्व उसकी समिति के निर्वाचन संचालन कराने के लिए प्राधिकारी को ऐसी रीति से लिखित में अनुरोध नहीं भेजे जाने पर अधिनियम की धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर दिनांक 22-2-2024 तक स्पष्टीकरण चाहा गया।

अधिनियम की धारा 32(1) एवं धारा 32(2) के अधीन संस्थाओं के कार्यालय का पता प्रदर्शित नहीं होने के कारण दिनांक 16-2-2024 को दैनिक समाचार पत्र, "पत्रिका" के पेज क्रमांक 12 के कटनी अंक में तथा "दैनिक भास्कर" समाचार पत्र के पेज क्रमांक 4, कटनी फ्रंट पेज के अंक में, कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रकाशन, जिला जनसंपर्क अधिकारी जिला कटनी को प्रेषित पत्र क्रमांक-साख-2024-308, कटनी, दिनांक 15-2-2024 के माध्यम से बतौर समाचार कराया गया।

संस्था के अध्यक्ष/प्रबंधक द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का स्पष्टीकरण नियत दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया। संस्था के अध्यक्ष/प्रबंधक को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु पुनः एक अवसर प्रदान करते हुए कार्यालयीन पत्र क्रमांक-साख-2024-362, कटनी, दिनांक 26-2-2024 के द्वारा स्मरण-पत्र जारी किया गया तथा दिनांक 6-3-2024 तक समाधानकारक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया लेकिन संस्था के अध्यक्ष/प्रबंधक द्वारा नियत अवधि तक कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा या तो अपने रजिस्ट्रीकरण के युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है, अथवा अपना कार्य व्यापार बंद कर दिया गया है या संस्था साधारणतः सदस्यों के हित को प्रवर्तित करने के स्थान पर स्वयं के हित को प्रवर्तित करने के लिए कार्य कर रही है या संस्था अधिनियम की धारा 57-घ(2) के अनुपालन में, अधिनियम की धारा 48 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अनुसार, बहिर्गामी समिति, विद्यमान समिति की अवधि के अवसान होने के चार मास पूर्व, समिति के निर्वाचन संचालन कराने के लिये प्राधिकारी को लिखित में अनुरोध भेजे जाने हेतु इच्छुक नहीं है तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधि का अनुपालन करने के लिये भी रजामंद नहीं है।

एतद् मैं, राजयश वर्धन कुरील, मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26-7-1999 में प्रदत्त शक्तियों जो मुझे, शासन द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए माँ जगदम्बा प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्यादित, कटनी पंजीयन क्रमांक 1031, जिला कटनी को अधिनियम की धारा 69(2) के तहत, परिसमापन में लाए जाने का आदेश देती हूँ तथा अधिनियम की धारा 70 के अंतर्गत श्रीमती बेबी नैना मेहरा, सहकारी निरीक्षक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड कटनी को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करते हुए निर्देशित करता हूँ कि 06 माह के भीतर संस्था की सम्पूर्ण आस्तियों का निराकरण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, ताकि संस्था का पंजीयन समाप्त किया जा सके।

यह आदेश आज दिनांक 7 मार्च, 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(G-732)

राजयश वर्धन, सहायक पंजीयक.

कार्यालय, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश

उज्जैन, दिनांक 13 फरवरी 2024

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57(सी) के अन्तर्गत]

क्र.-परि.-क्यू.-2024.-सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक/परि./2023/2806, उज्जैन, दिनांक 13-10-2023 एवं आदेश क्रमांक-परि.-2023-2890, उज्जैन, दिनांक 31-10-2023 के द्वारा मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया है:-

क्र. (1)	संस्था का नाम (2)	पंजीयन क्रमांक व दिनांक (3)	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक (4)
1.	तिलहन सहकारी संस्था मर्यादित, गावडीलोधा	614 / 22-6-1982	480 / 27-2-2013
2.	श्री चिन्तामण गणेश फल फूल साग सब्जी उत्पादक एवं विपणन सहकारी संस्था मर्यादित, उज्जैन.	1507 / 20-5-1999	269 / 18-2-2019
3.	वर्धमान साख सहकारी संस्था मर्यादित, उज्जैन	36 / 15-10-2014	1058 / 1-7-2021
4.	श्री प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार सहकारी संस्था मर्यादित, बड़नगर	940 / 15-9-2001	1145 / 25-5-2015
5.	राजकुमार बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ईटावा	1953 / 22-12-2014	978 / 25-6-2021
6.	केशव बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, आंजदा	1978 / 1-1-2015	978 / 25-6-2021
7.	सार्थक बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, असावता	2229 / 11-9-2015	1668 / 2-8-2021
8.	गीता बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मौलाना	2034 / 22-1-2015	1691 / 3-8-2021
9.	जाधव ईंट निर्माण उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, उन्हेल	1702 / 30-6-2007	1321 / 20-5-2022
10.	नमामी परिवहन पर्यटन सहकारी संस्था मर्यादित, नागदा	2324 / 15-9-2016	1332 / 20-5-2022
11.	रामगढ़ बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, रामगढ़	69 / 5-6-2004	1058 / 1-7-2021
12.	उज्जैनिया बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, उज्जैन	28 / 30-11-2010	1058 / 1-7-2021
13.	माँ क्षिप्रा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित,	2009 / 12-1-2015	1058 / 1-7-2021
14.	श्री करणी कृषि एवं उद्यानिकी बीज एवं जैविक खाद्य सहकारी संस्था मर्यादित, खण्डवासुरा	2331 / 5-12-2016	1333 / 20-5-2022
15.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, खण्डवासुरा	672 / 6-4-1989	978 / 25-6-2021
16.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, ढाबलासिया	1823 / 28-3-2013	1184 / 29-4-2022
17.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कोयल	799 / 30-6-1988	1136 / 28-4-2023
18.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, डुंगरिया	1710 / 31-1-2008	2420 / 27-7-2017
19.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बालोदा	866 / 26-7-1989	2420 / 7-7-2017

(1)	(2)	(3)	(4)
20.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, जवासिया कुमार.	2241 / 30-9-2015	3561 / 8-12-2016
21.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, धुंआखेड़ी	2064 / 27-3-2015	3561 / 8-12-2016
22.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, झलारिया	1991 / 1-1-2013	739 / 8-3-2016
23.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, खलाना	2149 / 18-8-2015	3561 / 8-12-2016
24.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बोरदिया	2120 / 29-7-2015	3561 / 8-12-2016
25.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, रानीपुर	2237 / 29-9-2015	2446 / 20-10-2022
26.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मुंजाखेड़ी	1822 / 28-2-2023	1369 / 9-5-2023
27.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मिडका	1889 / 21-10-2014	327 / 7-2-2022
28.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पलवा	500 / 22-9-1980	1080 / 28-5-2012
29.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, हमीरखेड़ी	2247 / 30-9-2015	1388 / 9-5-2023
30.	हरिओम गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, उज्जैन	1592 / 21-08-2002	671 / 9-3-2015
31.	रेखा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, उज्जैन	1598 / 26-9-2002	2051 / 9-3-2013
32.	महावीर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, उज्जैन	70 / 2-2-2021	1963 / 20-9-2021
33.	श्री बाबा रामदेव औद्योगिक सेनेटरी सहकारी संस्था मर्यादित, उज्जैन.	1712 / 11-3-2008	1148 / 25-5-2015
34.	विकास कामगार एवं कारीगरों सहकारी संस्था मर्यादित, उज्जैन.	997 / 26-02-1991	1148 / 25-5-2015
35.	सहकारी संस्था मर्यादित, उज्जैन		

अतः, मैं, सी. एस. आसोड़िया, सहकारी निरीक्षक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम, 57 (सी) के अनुसार सर्वसाधारण की जानकारी के लिए सूचना-पत्र प्रकाशित करता हूँ, कि उक्त संस्था के विरुद्ध किसी का भी कोई लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे प्रमाण सहित मुझे कार्यालय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार की कार्यवाही की जाकर संस्था के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास इस समिति के सदस्यों या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखा पुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान तथा रेकार्ड आदि हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर उक्त वर्णित कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सम्यक् सूचना आज दिनांक 13 फरवरी 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई.

(G-733)

सी. एस. आसोड़िया, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट, नजूल टी. टी. नगर, भोपाल, मध्यप्रदेश

प्र.क्र. 02-बी-113-2023-2024.

क्र. 73/अ.वि.अ./टी.टी.नगर/2024.

भोपाल, दिनांक 26 मार्च 2024

प्रारूप-4

[नियम-5(1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) और
मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम 5(1) के अन्तर्गत]

न्यायालय पंजीयक,
लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी,
टी. टी. नगर, भोपाल जिले के समक्ष.

चूंकि श्री गौतम पाटिल (सचिव) आ. स्व. श्री एल. एस. पाटिल निवासी-म.नं.-बी-504, जीवन बीमा अपार्टमेंट, कोटरा सुल्तानाबाद भोपाल (म.प्र.) ने लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 05-04-2024 को विचार के लिए लिया जावेगा.

अतः मैं, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, टी. टी. नगर भोपाल (अजाक्स भवन ट्रस्ट, भोपाल) लोक न्यासों का पंजीयक, अपने न्यायालय में दिनांक 05-04-2024 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूं.

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासी या कार्यकारी न्यासी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से पन्द्रह दिवस के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकता है और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जाएगा.

अनुसूची

1. ट्रस्ट का नाम : अजाक्स भवन ट्रस्ट, भोपाल (म.प्र.)
2. चल सम्पत्ति : निल
3. अचल सम्पत्ति : निल

आज दिनांक 22-03-2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी की गई.

(G-734)

अर्चना रावत शर्मा, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 14]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 5 अप्रैल 2024-चैत्र 16, शक 1946

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कुछ नहीं